Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 111/2025

श्री आकाश कश्यप, — परिवादी
निवासी– द पेस्टल वीड स्कूल,
ओक हिल स्टेट, मसूरी डायवर्जन
रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 20.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the instant complaint requesting the forum to issue stay order against UPCL from disconnection of Supply, recovery of alleged amount of Rs 5,94,426/-.
The Complainant submits and prays as under:-

"*1.That present application is being preferred by the appellant whereby the appellant is seeking relief in the nature of restraining order against the respondent from disconnection of supply of power in the appellant unit and recovery of alleged assessment for 72491 units. The contents of the present application may kindly be read as part and parcel of the accompanying complaint and the same has not been repeated for the sake of brevity and in order to avoid repetition.*

2. That the complaint has been instituted before the Ld. CGRF, Dehradun, Uttarakhand against the respondent for raising arbitrary, illegal, unjustified and unwarranted demand for alleged 72491units raised through letter No. 4495 dated 27.11.2025 issued by Ex. En EDD (North) Uttarakhand power corporation limited (UPCL).

3. That the appellant is acommercial unit and without supply of power the unit cannot run/function and appellant is bound to suffer huge financial loss.

4. That under any circumstance if the restraining order is not passed the applicant will be highly prejudiced and the complaint will be frustrated as well as the rights of the applicant will be defeated in the hands of the respondent.

5.That it is not out of place to mention herein that the applicant is regularly depositing the usual consumption charges and never ever defaulted in the same and therefore considering the previous track record of the applicant, the applicant herin deserves leniency and entitled for the restraining order against the respondent.

6.That if the present application is not allowed in such event the applicant will suffer an irreparable loss and injury and the same cannot be compensated in any manner whatsoever.

7. That the present application is being moved in bonafide and in the interest of justice.

PRAYER

In the premises aforesaid, it is most humbly and respectfully prayed that this hon'ble ombudsman may graciously be pleased to:

a) Restrain the officials of respondent from disconnection of supply of power in the unit of the applicant/appellant on his being made regular consumption charges and not to take any coercive action for just and proper adjudication of the dipute and differences in hand.

b) Restrain the officials of the respondent from recovering against assessed unit of 72491 from the applicant for just and proper adjudication of the dispute and differences in hand.

c) Pass any other order or direction, which the Hon'ble Ombudsman may deem fit and proper, on the facts and circumstances of the case, in the interest of justice."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 82, दिनांकित 03/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि परिवाद सं० 111/2025 श्री आकाश कश्यप (निदेशक) The Pestel Weed School, Mussorie Diversion Road, Dehradun का नोटिस इस कार्यालय को दिनांक 01.01.2026 को प्राप्त हुआ है। जिसका प्रतिउत्तर देने हेतु विद्युत परीक्षण खण्ड द्वारा आख्या चाही गई है, जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है। अतः*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

महोदय से निवेदन है कि उक्त वाद में दिनांक 11.01.2026 के बाद की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित करने की कृपा करें ताकि उक्त वाद में खण्ड द्वारा समुचित आख्या तथ्यों सहित प्रेषित की जा सकें।"

विपक्षी द्वारा परिवादी की याचिका दिनांक **26.12.2025** के पत्युत्तर दिनांक 09/01/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया हैः–

1. *" कि उपभोक्ता Principal Childern Acadmy, Pestel Weed Collage Malsi, Dehradun संयोजन संख्या 700K000000610 स्वीकृत विद्युत भार 60 कि0वा0 संयोजित है जिस पर दिनांक 10.09.2025 तक मीटर सं0 22224752 स्थापित था जो कि एक LT CT Connected Meter है। जिसकी MRI का अवलोकन करने पर उपभोक्ता के B phase में current शून्य पायी गयी, जिस पर विद्युत परीक्षण खण्ड द्वारा दिनांक 28.07.2025 को चैक मीटर संख्या 5137799 स्थापित किया गया तथा दिनांक 20.08.2025 को चैक मीटर फाईनल किया गया। मेन मीटर एवं चैक मीटर का विश्लेषण करने पर उपभोक्ता का मेन मीटर 36.24 प्रतिशत धीमा चलता हुआ पाया गया। सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षण खण्ड (उत्तर) की रिपोर्ट के अनुसार उक्त Abnormality की तिथि से दिनांक 20.08.2025 तक का विद्युत मूल्य रू० 594426.00 का निर्धारण किया गया।*

2. *i. Matter Of Record.*

   ii. Matter of Record.

   iii. चैक मीटर निर्धारण की गणना शीट संलग्न है।

   iv. उपभोक्ता के पत्रांक TPWS/ADM/29542 दिनांक 11.12.2025में उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगाये जाने की प्रक्रिया को गलत ठहराया है जबकि सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कार्यालय पत्रांक 326 दिनांक 24.07.2025 द्वारा उपभोक्ता को उनके संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में ही सूचित किया जा चुका था, जिसका उल्लेख उपभोक्ता ने अपने पत्र में भी किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.07.2025 को चैक मीटर की स्थापना तथा दिनांक 20.08.2025 को चैक मीटर फाईनल भी उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया गया। इसी क्रम में इस खण्ड के पत्रांक 4495 दिनांक 27.11.2025 द्वारा उपभोक्ता को उनका मेन मीटर धीमा पाये जाने तथा विद्युत मूल्य निर्धारण धनराशि रू० 594266.00 को जमा कराये जाने हेतु प्रेषित किया

V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

वि०क्रौ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

गया है। महोदय मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुरूप ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया था। चैक मीटर की टेस्टिंग रिपोर्ट भी उपभोक्ता को चैक मीटर लगाये जाने के समय ही उपलब्ध करा दी गयी थी।

v. उपभोक्त के चैक मीटर रिपोर्ट पर आधारित विद्युत मूल्य निर्धारित धनराशि उनके द्वारा की गई विद्युत खपत के अनुरूप सही है एवं माननीय उत्तराखण्ड नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुरूप ही है।

3. (a) कि उपभोक्ता Principal Childern Acadmy, Pestel Weed Collage Malsi, Dehradun संयोजन संख्या 700K000000610 स्वीकृत भार 60 कि०वाट० संयोजित है। जिसपर दिनांक 10.09.2025 तक मीटर सं० 22224752 स्थापित था। जो कि एक LT CT Connected Meter है। जिसकी MRI का अवलोकन करने पर उपभोक्ता के B phase में current शून्य पायी गयी, जिस पर विद्युत परीक्षण खण्ड द्वारा दिनांक 28.07.2025 को चैक मीटर संख्या 5137799 स्थापित किया गया तथा दिनांक 20.08.2025 को चैक मीटर फाईनल किया गया। मेन मीटर एवं चैक मीटर का विश्लेषण करने पर उपभोक्ता का मेन मीटर 36.24 प्रतिशत धीमा चलता हुआ पाया गया। साथ ही अवगत कराना है उपभोक्ता द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्य एवं पूर्णतया निराधार है। चैक मीटर लगाये जाने एवं फाईनल किये जाते समय उपभोक्ता के प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनके हस्ताक्षर भी सीलिंग सर्टिफिकेट पर अंकित है एवं चैक मीटर लगाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमानुसार दो दिन पूर्व ही पत्र के माध्यम से उपभोक्ता को सूचित कर दिया गया था।

(b) Test/Check Meter Report चैक मीटर लगाते समय ही उपभोक्ता को उपलब्ध करा दी गई थी।

(c) विद्युत परीक्षणशाला (उत्तर), 18 ई०सी० रोड, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान मे उपलब्ध CT एवं PT बिना Serial Number के ही उपलब्ध है। सहायक अभियन्ता मीटर परीक्षणशाला प्राप्त रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।

(d) उपभोक्ता के मीटर पर B phase में current शून्य पायी गयी थी, जिस कारण उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया था। उपभोक्ता के B phase में CT खराब थी जिसे बदल कर उपभोक्ता की मीटरिंग सही कर दी गई थी। सहायक अभियन्ता मीटर परीक्षणशाला से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(e) इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता मीटर परीक्षणशाला से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(f) उपभोक्ता/प्रतिनिधि द्वारा चैक मीटर फाईनल करते समय किसी भी प्रकार का Objection file नहीं किया गया था एवं वर्तमान में केन्द्र पोषित योजना आर०डी०एस०एस० के अन्तर्गत Electronic Meter को Smart Meter से बदलने का कार्य गतिमान है उसी क्रम में चैक मीटर फाईनल करने के लगभग 20 दिन पश्चात् 11.09.2025 को उपभोक्ता के मीटर को Smart Meter से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

(g) उपभोक्ता को किसी प्रकार का विद्युत विच्छेदन का नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(h) तथ्यात्मक है।

(i) उपरोक्त के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 01 में स्पष्ट किया जा चुका है। उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है केवल उनके मीटर द्वारा आकलन की गई विद्युत खपत का ही निर्धारण लिया गया है, जो कि उनकी बिलिंग हिस्ट्री से भी स्पष्ट है।

(j) तथ्यात्मक है।

चैक मीटर लगाये जाने से लेकर उसके सापेक्ष किये गये विद्युत मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही किया गया है। उपभोक्ता का विद्युत मुल्य निर्धारण उनके द्वारा की गई विद्युत खपत हेतु किया गया है जो कि नियमानुसार सही है, उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त अर्थदण्ड अध्यारोपति नहीं किया गया है। अतः उपभोक्ता द्वारा उक्त धनराशि को जमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता के एम०आर०आई० एवं बिलिंग हिस्ट्री का अध्ययन करने पर भी स्पष्ट है कि उपभोक्ता का माह 07/2024 से पूर्व विद्युत उपभोग 14000–24000 यूनिट के मध्य था तथा उनकी एम०डी० भी 40 किलोवाट से 63 किलोवाट तक रहती थी। किन्तु एक फेस की करन्ट शून्य आने के पश्चात् उपभोक्ता की विद्युत खपत 4140 से 13440 के मध्य तथा एम०डी० 12 किलोवाट से 32 किलोवाट के मध्य ही रह गयी, जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता के मीटर द्वारा एक फेज का मूल्यांकन/गणना नहीं हो रही थी, जिसका आकलन चैक मीटर फाइनल करने के पश्चात् उपभोक्ता का विद्युत मूल्य निर्धारण धनराशि जमा कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

महोदय उपभोक्ता के मीटर की एम०आर०आई० का विश्लेषण एवं तद्नुसार गणना करने से भी स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर द्वारा लगभग 1/3 कम यूनिट की गणना की जा रही थी तथा उक्त Abnormality से पूर्व तथा पश्चात् की बिलिंग हिस्ट्री से भी स्पष्ट है कि उक्त अवधि में मीटर द्वारा कम खपत दर्ज की है। जिसको स्पष्टता हेतु ही चैक मीटर स्थापित किया गया था, अतः उपभोक्ता द्वारा उक्त विद्युत निर्धारण की धनराशि को जमा कराया जाना विभागीय तथा न्यायहित में आवश्यक है।"

परिवादी द्वारा विपक्षी की आख्या पर अपना निम्न प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया :–

(1) *At the outset, it is submitted herein that the contents of the written statement, filed by the respondent before Ld. Forum are specifically and categorically denied being devoid of merits, baseless and no cogent explanation has been furnished with respect to the contentions of the appellant hence denied except to the extent which are specifically and categorically admitted herein by the appellant in the forthcoming paragraphs.*

(2) *That the ensuing dispute, which has been raised by the appellant, in his appeal memo, is based on the Indian Electricity Act, 2003, the Indian Electricity Rules, 1956 and the Central Electricity Authority notification dated 17.03.2006 and the UERC Regulations vide notification dated 29.10.2020 respectively; and it is being brought on record, that the Judicial discipline entails, that the powers of the distribution licensee i.e. UPCL, are not unbridled but are circumscribed; which mutatis mutandis, are enshrined in the Indian Electricity Act, Rules and UERC Regulations and the Electricity Supply Code respectively.*

(3) *That the contents of paragraph 1 are admitted to the extent as far as it pertains to record However, it is pertinent to mention that any finding of MRI is indicative cannot be burdened on the complainant without conducting a valid check meter study in accordance with law. It is emphatically stated that none of the finding of MRI has been corroborated at metering system as neither any fault was discovered nor any corrective action was taken by the respondent during the alleged check meter study. Thus, the averment of the respondent that the meter was running slow by 36.24% has no leg to stand. Hence any assessment is illegal.*

(4) That the contents of paragraph 2 (i) to 2 (iv) are not true as presented and hence denied. It is admitted that letter No. 326 dated 24.07.2025 for check meter has been provided but the letter in no manner communicates the intention and purpose of such an exercise. Further it is categorially denied that the test results of the check meter were provided at the time of installation of check meter. However, the results were provided at the time of finalization of check meter which is established beyond doubt as the sealing certificate No. 25/111 dated 20.08.2025 categorically establishes the same. That it is also worth mentioning that on bare perusal of test report provided it is established that meter does not confirm to the requirement as per IS 14697:2021 hence cannot be held to be a valid check meter.

(5) That the contents of paragraph 3 (a) and 3 (b) has been replied in the preceding paragraphs and content of the same has not beenrepeated herein for sake of brevity.

(6) That the contents of paragraph 3 (c) are not admitted. It is no body's case that PT and CT are not available with serial numbers. However, it is worth mentioning that CT, PT including the seals are part of the metering system and covers in the definition of meter. That if the serials no. of CT's is not available the details of the CT cannot be ensured more so when the integrity of the metering system was not maintained for the check meter study.

(7) That the contents of the paragraph 3 (d) are wrong, false and emphatically denied. The argument of the respondent that the check meter was installed because of zero current in B phase is categorially denied as no such mention was there in the letter served for check meter study or in the sealing certificate 24/111 prepared on 28.07.2025 for check meter installation. That is pertinent to mention that the sealing certificate 25/111 prepared on 20.08.2025 nowhere mentions any fault in the CT and that the CT is replaced. That the respondent is submitting false argument for justifying their illegal assessment/ claim.

(8) That contents of paragraph 3 (e) are not correct as presented. The submitted document did not establish that the CT was defective and was replaced.

(9) That the contents of paragraph 3 (f) are not true as presented. When neither any fault was discovered nor any corrective action was taken and when meter was also not replaced, there was no occasion for the representative of complainant to raise any dispute. That the signature

of the representative merely confirm that the respondent officers visited the premises and check meter was finalized. However, it is incumbent upon the respondent, to follow the stipulated procedure as provided in regulation before raising any assessment. That the complainant or his representative cannot be expected to know the technicalities of metering system. That as the assessment letter No. 4495 dated 27.11.2025 was received the complainant denied the assessment in writing. Further if the respondent were likely to raise any assessment, the meter should have been preserved (being the only material evidence) whereas the meter was lost by the action of respondent on account of its replacement. Thus, any assessment raised is illegal. The same view has been fortified by Hon'ble Supreme Court in WP 3615/1996. Copy of judgement is attached at ANNEXURE RA-1.

(10) That the contents of paragraph 3 (g) and 3 (h) have not been denied hence require no reply.

(11) That the content of paragraph 3 (i) is denied in totality. That the meter was working within the stipulated limits of error. That the respondent did not establish that the meter is running law as per procedure established in law. Hence any assessment whatsoever is illegal.

(12) That the contents of paragraph 3 (j) have not been denied hence require no reply.

SUPPLEMENTARY POINTS

(13) That the check meter study was not carried out as per procedure established in Hon'ble UERC Supply Code Regulations 2020.

That no test results for CT's used in the check meter study were provided. **Whereas, the definition of meter includes CT, PT and any associated arrangement of the metering system**. In absence of test results of CT's, the test report of energy meter provided (that was also not valid as explained in preceding paragraph) is not a valid test report and is not legally valid. That any finding from MRI is indicative only and has to be established by conducting valid check meter study as per the procedure established in law and by no other means more so because of the settled law as established in WPMS 2301/2025 by Hon'ble High Court Uttarakhand "When the

Statute requires the thing to be done in a particular manner then that thing must be done in that manner or not at all." The copy of judgement has been attached at ANNEXURE RA-2,

(14) That the answering respondent have not complied to any of the regulation and have not followed principles of natural justice in as much as check meter study is concerned or the assessment raised thereof. That the various case laws submitted clearly mandates that no assessment can be raised without having procedural and other compliances of the **UERC Supply Code Regulations, 2020**. Thus, the purported check meter study and the results obtained is having no sanctity and is merely a trouble shooting exercise on part of the answering respondent and thus no sanctity can be attributed to the assessment raised and therefore the entire assessment is liable to be dismissed and quashed with cost.

(15) It is therefore most humbly prayed, that Ld. Forum would be pleased to take on record the Rejoinder of the complainant and allow to argue the matter both on the averments made in the appeal memo as well as countered to the Written Statement of the answering respondent in his Rejoinder Application, as well as the appellant would crave leave of this Hon'ble Court to allow furnishing of any evidence/ documents/ judgments, to substantiate the pleadings of the appellant, for which act of kindness the appellant shall as in duty bound, ever pray."

विपक्षी द्वारा परिवादी के उपरोक्त प्रतिउत्तर के जवाब में पत्रांक संख्या 888, दिनांकित 13/02/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:–

1- *" It is respectfully submitted that the complete facts have already been elaborated in the reply submitted before the Hon'ble Forum vide this office letter No. 181 dated 09.01.2026 regarding the installation of the check meter. The Licensee (UPCL) has followed all due procedures in accordance with the provision of the UERC Supply Code, 2020 for meter testing, ensuring that consumer's interests have not been prejudiced in any manner. On the contrary, the correct consumption of energy has been duly assessed through the check meter.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2- *The contents of Para 2 of the complaint's rejoinder are wrong and are hereby denied. As stated in Para 1 of the present reply, the contents thereof are reiterated and relied upon.*

3- *The Contents of Para 3 of the complaint's rejoinder are wholly misconceived, incorrect, and are emphatically denied. It is submitted that the Licensee has strictly adhered to all prescribed procedures in accordance with the applicable provisions of the UERC Supply Code, 2020. The Consumer was duly informed regarding the installation of the check meter, which was installed, finalized in the presence of the consumer's authorized representative. The NABL-certified meter testing report was also duly provided to the consumer. Upon finalization of the check meter, the assessment was lawfully determind on the basis of the check meter report and was duly communicated to the consumer. The procedure adopted was transparent, lawful, and in complete conformity with the governing regulations. There has been no procedural irregulariy, arbitrariness, or malafide intention on the part of the Licensee (UPCL). The consumer has been assessed strictly for the actual units of energy consumed, which is further evident from the complainant's past and present consumption history, duly submitted before the Hon'ble Forum. The Complete and detailed facts have already been placed on record vide this office letter No. 181 dated 09.01.2026.*

4- *The contents of Para 4 of the complaint's rejoinder are wrong and are hereby denied. The consumer was duly informed regarding the installation of the check meter, which was installed, and finalized in the presence of the consumer/their representative. The NABL-certified meter testing report was provided at the time of*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

check meter installation, which is evident from the receiving of the same by the consumer/their representative. The complete facts have already been elaborated in the preceding prargraphs as well as in the reply submitted before the Hon'ble Forum vide this office letter no. 181 dated 09.01.2026.

5- *The Contents of Para 5,6,7 and 8 of the complaint's rejoinder are wrong and are hereby denied. The complete facts have already beem elaborated in the reply submitted before the Hon'ble Forum vide this office letter no. 181 dated 09.01.2026.*

6- *The contents of para 9 of complaint's rejoinder are wrong and denied. It has already been informed that the one CT was defected and the same was replaced at the time of check meter finalization. The meter was healthy and was available at site even after the replacement of defective CT and finalization of check meter. However, as the existing electronic meters are being replaced by smart meters under RDDS (A Central Government flagship scheme). Hence, later the meter got replaced by smart meter on 11.09.2025. Which is noting to relate with this incident. The claim of the complainant's rejoinder that the meter was lost is wrong and misleading. The old replaced meter is still with UPCL test division. The assessment was made strictly on the basis of the check meter report and is further corroborated by complainant's past and present consumption history.*

7- *The contents of Paras 10,11, and 12 of the compaint's rejoinder are wrong, misconceived, and are hereby denied. The complete facts have already been elaborated in the preceding paragraphs of the present reply as well as in the detailed submission made before the Hon'ble Forum vide this office letter no. 181 dated 09.01.206.*

Reply of Supplementary Points

8- *The contents of Para 13 of the complaint's rejoinder is wrong, misconceived, and are hereby denied. It is respectfully submitted that the check meter study was conducted strictly in accordance with the prevailing rules and regulations. In this regard, reference is invited to Sub-Clause 10(b) of Clause 5.1.3 (Testing of Meter) of the UERC Supply Code, 2020, Which provides as under:*

10(b): When the meter is found to be slow beyond permissible limit as specified by BIS and the Consumer does not dipute the accuracy of the test the licences shall replace/rectify the defective metre within 15 days of testing. The consumer shall pay the difference due to defect in the metre at normal rates, based on percentage error, for maximum period of not more than 12 months or less depending on period of installation of meter or previous testing date prior to date of test and up to the date on which defective meter is replaced/rectified.

Further, reference is also invited to Sub-Clause 11 of Clause 5.1.3 (Testing of Meter), which provides as under:

"Wherever the testing of metre is being done, signature of the consumer, or his authorized representative, if present would be obtained on the test report and a copy thereof shall be supplied to the consumer."

In the present case, the Licensee (UPCL) observed abnormalities through meter MRI reports, pursuant to which a check meter was installed to analyse and assess the correct differential energy attributable to the anomaly in the metering system. The installation and subsequent finalization of the check meter were carried out with the knowledge of the consumer. The consumer was duly informed, and the sealing

certificate was signed by the consumer/their reprensentative present at the time of installation as well as at the time of finalization of the check meter. The NABL-certified meter testing report was also duly provided to the consumer/their representative. The assessment was thereafter made strictly in assordance with the applicable regulations. Therefore, there is no violation or non-compliance of the provisions relating to testing of meters under the UERC Supply Code, 2020. The complainant has relied upon the judgment passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in WPMS No. 2301 of 2025, which is wholly distinguishable and not applicable to the facts of the present case. In the said matter, the findings were based on the fact that no prior notice was served upon the consumer before installation of the check meter and that the Meter test report was not provided to the consumer. However, in the present case, the consumer was duly informed regarding the installation of the check meter, which was installed and finalized in the presence of the consumer/their representative, as evident from the duly signed sealing reports. The NABL-certified Meter test report was also furnished to the consumer. Accordingly, the Licensee (UPCL) has acted strictly in conformity with the provisions of the UERC Supply Code, 2020. The assessment has been carried out lawfully and transparently to determine the correct consumption of energy through the check meter, without causing any prejudice to the consumer. Hence, the judgment relied upon by the complainant has no relevance or applicability to the present matter.

9- *The contents of Para 14 of the complaint's rejoinder are wrong, misconceived, and are hereby denied. The issue raised therein has already been addressed in the*

preceding paragraphs of the present reply. The check meter was installed and finalized with the knowledge of the consumer. The sealing certificate was duly signed by the consumer/their representative at the time of installation as well as finalization of the check meter. The assessment was carried out strictly on the basis of the check meter report. There is no violation or non-compliance of the provisions of the UERC Supply Code, 2020.

10- It is evident from the foregoing facts and submissions that the Licensee (UPCL) has strictly adhered to all procedures in accordance with the provisions of the UERC Supply Code, 2020 relating to meter test, ensuring that the consumer's interests have not been prejudiced in any manner. The correct consumption of energy has been lawfully determined through the check meter, as provided under the Supply Code. The assessment has been made strictly as per the applicable rules and pertains only to the actual charges for the energy consumed by the consumer. The same is duly corroborated by the meter MRI reports as well as the complainant's past and present consumption history.

PRAYER

In view of the facts and submissions stated hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Forum may kindly be pleased to:

(a) Dismiss the complaint filed by the complainant as being misconceived, baseless, and devoid of merit;

(b) Uphold the assessment made by the Licensee (UPCL) as being lawful and in accordance with the provisions of the UERC Suppy Code, 2020;"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गई जिसका मंच द्वारा विस्तृत अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा माननीय UERC के Suppy Code के विनियम 5.1.3 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उक्त चैक मापक स्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त चैक मीटर टैस्ट रिपोर्ट की शुद्धता पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है कि विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराई गई चैक मीटर टैस्ट रिपोर्ट में कई I S मानकों की जॉच नही की गई है। उक्त के संबंध में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा स्थापित किये गये चैक मीटर के सभी मानकों की जॉच की आवश्यकता नहीं थी एवं आवश्यक जॉच " Limit of error" की जॉच विपक्षी द्वारा अपनी NABLमीटर परीक्षण शाला में कराई गई जिसकी प्रति नियामानुसार परिवादी को उपलब्ध भी कराई गयी है।

परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में चैक मीटर की CT की शुद्धता पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया है कि परीक्षण खण्ड द्वारा CT का क्रय BIS मानकों के अनुरूप ही किया जाता है और यह प्रक्रिया पूर्ण UPCL में अपनाई जाती है। मंच का मत है कि परिवादी द्वारा CT की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया जाना उचित नहीं है।

मंच द्वारा उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत परिवादी के विद्युत मापक के Load Survey Report का अवलोकन किया गया एवं पाया कि निर्धारण अवधि में B Phase का Current लगातार शून्य दर्ज किया गया एवं दिनांक 20.08.2025 को (12.30pm से 01.00pm) के स्लाट में (जिस अवधि में CT परिवर्तित की गई) B Phase में पुनः Current दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के परिसर

पर स्थापित विद्युत मापक धीमा चल रहा था एवं वास्तविक विद्युत खपत से कम विद्युत अंकन कर रहा था।

मंच द्वारा परिवादी की औसत विद्युत खपत का भी परीक्षण किया गया एवं पाया कि B Phase की C T की खराब होने के दौरान, परिवादी की विद्युत खपत, C T ठीक होने के सापेक्ष बहुत कम अंकन की जा रही थी।

पत्रावली के आवलोकन से मंच के संज्ञान में यह भी आया कि परिवादी द्वारा सभी उपलब्ध सीलिंग प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा की गई पूर्ण कार्यवाही एवं परिणामों की जानकारी एवं सहमति परिवादी को थी।

उपरोक्त चर्चा के क्रम मे मंच का मत है चैक मीटर की पूर्ण प्रक्रिया परिवादी के समक्ष सपन्न की गई जिसकी पुष्टी सीलिंग प्रमाण पत्रों में उनके हस्ताक्षरों से हो जाती है। चैक मीटर फाईनल किये जाने के उपरान्त पाये गये फाईनल परिणाम (36.24% धीमा) पर मंच कोई हस्तक्षेप नहीं करता है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध गणना शीट का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विपक्षी द्वारा निर्धारण अवधि एक वर्ष से अधिक की अंकित की गई है, जो की माननीय् UERC के Suppy Code,2020 के विनियम 5.1.3(10)(b) के अनुरूप नही है, के क्रम मे मंच का मत है कि विपक्षी निर्धारण अवधि को उपरोक्त विनियम के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरांत मंच चैक मीटर फाईनल किये जाने के उपरान्त पाये गये फाईनल परिणाम (36.24% धीमा) पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माननीय्

UERC के Suppy Code,2020 के विनियम 5.1.3(10)(b) के अनुरूप उपरोक्त निर्धारण अवधि निर्धारित करते हुए संशोधित निर्धारण परिवादी को आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत प्रेषित कराना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-4-2026 | 20/04/26 | 20/04
(सुन्दरी गैरोला देवली) न्यायिक सदस्य | (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य | (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 112/2025

श्रीमती सीमा पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह — परिवादी
निवासी– डी0एस0पी0 चौक,
नियर स्वामी विवेकानन्द स्कूल,बड़ोवाला,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 21.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मैं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) का नियमित विद्युत उपभोक्ता हूँ। मेरा कनेक्शन संख्या MP21428223219 है। मेरे द्वारा परिसर में स्थापित विद्युत मीटर की विभागीय जाँच हेतु शिकायत दिनांक 29.08.2025 (रसीद संलग्न) को की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2025 को मीटर की जाँच कराई गई, जिसमें जाँच रिपोर्ट के अनुसार मेरा मीटर 63% फास्ट (अधिक रीडिंग दर्शाने वाला) पाया गया है। महोदय, मेरे विद्युत बिलों के पिछले भुगतान का विवरण से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि नवम्बर, 2024 से जुलाई 2025 तक मेरी मासिक विद्युत खपत सामान्य रूप से लगभग 80 से 178 यूनिट के बीच रही है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उसके विपरीत अगस्त, 2025 में 2447 यूनिट तथा अक्टूबर 2025 में 1570 यूनिट दर्शाई गई है जो कि अचानक और अत्याधिक वृद्धि है तथा घरेलू उपभोक्ता के लिए पूर्णतः असंगत और असम्भव है। उपरोक्त सत्य यह सिद्ध करते है कि हजारों यूनिट की यह खपत वास्तविक उपयोग के कारण नही बल्कि दोषपूर्ण मीटर के कारण दर्ज हुई है। उत्तराखण्ड विद्युत आपूर्ति संहिता एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार दोषपूर्ण मीटर के कारण उपभोक्ता को अतिरिक्त बिलिंग के लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में विद्युत बिल का निर्धारण पिछले 3–6 महीनों के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना अनिवार्य है। अतः आपसे निवेदन है कि अगस्त 2025 एवं अक्टूबर, 2025 के आधार पर जारी अत्याधिक विद्युत बिल को निरस्त करते हुए बिल का पुनर्निर्धारण पिछले 3–6 महीनों की औसत खपत (लगभग 120–150 यूनिट) के आधार पर किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट कीजिएगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5798 दिनांकित 08/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *संयोजन संख्या MP21428223219, नामें श्रीमती सीमा पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी–डी0एस0पी0 चौक, नियर स्वामी विवेकानन्द स्कूल, बडोवाला, देहरादून के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर 2025 में अपने विद्युत मीटर को चैक कराने हेतू मीटर के लिए आवेदन किया गया था, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 24.09.2025 चैक मीटर स्थापित कर दिया एवं दिनांक 15.10.2025 को चैक मीटर की आख्या अनुसार उपभोक्ता का मैन मीटर 63 प्रतिशत तेज पाया गया जिसके आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल को दिनांक 23.12.2025 में मैन्युअली संशोधित कर खण्ड कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका हैं।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो॰
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 09.01.2026 को check meter adjustment (main meter 63% fast) manualy दे दिया गया था, जिसका अवलोकन करने पर मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 12.01.2026 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि माननीय् UERC के नियामानुसार परिवादी के विद्युत बिल को संशोधित कर मंच के सम्मुख प्रस्तुत करें। विपक्षी द्वारा मंच के निर्देशों के क्रम में दिनांक 20.04.2026 को लेजर की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें check meter adjustment manualy अंकित है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की 63 प्रतिशत फास्ट पाये गये विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण उपरोक्त समायोजन करते हुए बिल संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

21/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 127/2025

श्रीमती रेखा नौटियाल, — परिवादी
निवासी–11 सुभाष रोड,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 25.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग एवं अत्यधिक बिलिंग के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं, रेखा नौटियाल पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद नौटियाल, निवासी– 32/3 11, सुभाष रोड, देहरादून, उपभोक्ता संख्या/खाता संख्या CD71212089712 आपके संज्ञान में निम्नलिखित समस्या लाना चाहती हूँ–*

1. *मेरे कनेक्शन का स्मार्ट मीटर बिजली विभाग द्वारा सडक के बिजली के पोल पर लगाया गया है। मुझे इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विभाग अब सभी मीटर पोल पर ही स्थापित कर रहा है।*
2. *समस्या यह है कि मेरा स्मार्ट मीटर असामान्य रूप से तेज रीडिंग दर्ज कर रहा है, जबकि पिछले दो तीन महीनों से मैं यहां नियमित रूप से नहीं रह रही थी।*
3. *इसके बावजूद मुझे रू० 2000–रू० 3000 तक का बिल भेजा जा रहा है, वह भी केवल 15 दिनों की अवधि के लिए।*
4. *इसके अतिरिक्त रू680 का फिक्स चार्ज दो बार बिल में जोडा गया है, जो पूरी तरह अनुचित है।*

5. मेरा कनेक्शन डोमेस्टिक है तथा स्वीकृत भार 6 किलोवाट है।

6. अब मैं अपने घर में रहने लगी हूँ और यदि मीटर इसी तरह गलत चलता रहा, तो आने वाले बिल अत्यधिक बढ जाएंगे।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मीटर मे तकनीकी खराबी है तथा यह वास्तविक खपत के अनुरूप रीडिंग नहीं दे रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि स्मार्ट मीटर की तत्काल तकनीकी जाँच कराई जाए। आवश्यकता होने पर इसे बदलकर सही कार्यशील मीटर लगाया जाए। पिछले महीनों की बिलिंग का पुनर्मूल्यांकन (री–असेसमेंट) कर गलत फिक्स चार्ज व अतिरिक्त राशि हटाई जाए। जाँच रिपोर्ट की एक प्रति मुझे उपलब्ध कराई जाए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी शिकायत पर शीघ्र एवं उचित कार्रवाई करे।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 35, दिनांकित 21/01/2026 से मंच को अवग कराया है *"कि उनके मापक की खपत की गढना करने पर उनके विद्युत बीजक सही पाये गये एवं बिन्दु संख्या–04 पर जिस 680.00 रूपये का जिक्र किया गया है वो 600 रूपये मात्र है जोकि 100 रूपये प्रति माह/पर किलोवाट चार्ज लिया जाता है चूकि उक्त उपभोक्ता का आवेदित विद्युत भार 6 किलोवाट है इसलिये (100x6=600) 600 चार्ज विद्युत बिल मे लिया गया है जोकि नियमानुसार सही है। अतः महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 126, दिनांकित 01.04.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्रीमती रेखा नौटियाल के परिसर में माननीय महोदय के आदेशानुसार चैक मीटर स्थापित करवाया गया एवं उक्त मीटर की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता के मापक मे कोई भी त्रुटि नहीं पायी गयी। अतः महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकयती पत्र के क्रम संख्या 02 के संबंध में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया कि मंच के निर्देशों के क्रम में परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया चैक मीटर फाईल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवाद के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक वास्तविक विद्युत उपभोग का ही अंकन कर रहा है। परिवादी के उपरोक्त शिकायती पत्र के

क्रम संख्या 04 की शिकायत के संबंध में भी विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उक्त उपभोक्ता का आवेदित विद्युत भार 6 किलोवाट है इसलिये (100x6=600) रू0 600 फिक्स चार्ज विद्युत बिल मे लिया गया है। उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है, कि चैक मीटर फाईनल प्रपत्र संख्या 3642 बुक संख्या 73 से स्पष्ट है कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक संख्या 5716703 सही प्रकार कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता हैं एवं विपक्षी द्वारा परिवादी से फिक्स चार्ज भी नियामानुसार लिया गया है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-4-2026	28/04/26	28/04
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 140/2025

मैसर्स आईशा मस्जिद
मौ0 इमरान
निवासी– हसनपुर, कल्याणपुर
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 25.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"वर्तमान बिल उपखण्ड सहसपुर अंतर्गत में ग्राम कल्याणपुर में उपभोक्ताओ के वर्तमान माह के बिल अधिक आए हुए है। जिससे उपभोक्ता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। महोदय उपभोक्ता के वर्तमान बिल पिछले बिल से कई गुना आए हुए है। अतः महोदय से निवदेन है कि उपभोक्ताओ के बिलों को ठीक करने की कृपा करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1053 दिनांकित 13/02/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया हैः–

1 *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-25/Small Non- Domestic Load Upto 04 KW 11 नवम्बर 2024 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN11615201713 है।*

2. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2919 दिनांकित 22/04/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया हैः–

3. *परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-25/Small Non- Domestic Load Upto 04 KW 11 नवम्बर 2024 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन स0 VN11615201713 है।*

1. परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।

2 परिवादी द्वारा दिनांक 31.03.2026 को बिल का भुगतान रू0 12,665.00 कर दिया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकयती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा मच को अवगत कराया कि परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये है एव परिवादी द्वारा संशोधित विद्युत बीजक का रू 12665.00 भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है, कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक संख्या GU442817 सही प्रकार से कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

नहीं किया जा सकता हैं एवं परिवादी द्वारा भी संशोधित विद्युत बीजक का भुगतान मंच के सम्मुख बिना किसी विरोध दर्ज किये कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी संशोधित विद्युत बीजक से संतुष्ट है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-4-2026	25/04/26	25/04/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 138/2025

मौ0 कुर्बान अली — परिवादी
निवासी– हसनपुर, कल्याणपुर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 25.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *वर्तमान बिल उपखण्ड सहसपुर अंतर्गत में ग्राम कल्याणपुर में उपभोक्ताओ के वर्तमान माह के बिल अधिक आए हुए है। जिससे उपभोक्ता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। महोदय उपभोक्ता के वर्तमान बिल पिछले बिल से कई गुना आए हुए है। अतः महोदय से निवदेन है कि उपभोक्ताओ के बिलों को ठीक करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1052 दिनांकित 13/02/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 23 जून 2001 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN11615201713 है।*

2 *परिवादी का विद्युत बीजक रू0 28952.00 से संशोधित कर रू0 21794.00 कर दिया गया है।*

3 *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2922 दिनांकित 22/04/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1. *परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 23 जून 2001 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN11615201713 है।*

2. *परिवादी का विद्युत बीजक रू0 28952.00 से संशोधित कर रू0 21794.00 कर दिया गया है।*

3. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

4 *परिवादी द्वारा दिनांक 10.03.2026 को रू0 10,000.00 का भुगतान कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया कि परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है एवं परिवादी द्वारा सशोधित विद्युत बीजक का रू0 10000.00 भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है, कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक संख्या 50051985 सही प्रकार से कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है एवं परिवादी द्वारा भी संशोधित विद्युत बीजक का भुगतान मंच के सम्मुख बिना विरोध दर्ज किये कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी संशोधित विद्युत बीजक से संतुष्ट है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/04/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 139/2025

मौ0 हासिम,
निवासी–हसनपुर,
कल्याणपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 25.04.2026

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि वर्तमान बिल उपखण्ड सहसपुर अंतर्गत में ग्राम कल्याणपुर में उपभोक्ताओं के वर्तमान माह के बिल अधिक आए हुए है, जिसमे उपभोक्ता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। महोदय उपभोक्ता के वर्तमान बिल पिछले बिल से कई गुना आए हुए है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपभोक्ता के बिल को ठिक करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1051, दिनांकित 13/02/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 16 मार्च 2001 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11615068408 है।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 29.12.2025 को चैक मीटर (GU365241) स्थापित किया गया।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. *जिसमें चैक मीटर और मेन मीटर की रीडिंग में अंतर नहीं पाया गया।*
4. *परिवादी का विद्युत बीजक रू० 30820.00 से संशोधित कर रू० 26157.00 कर दिया गया है।*
5. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

अतः वाद निरस्त करनें योग्य है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 2920, दिनांकित 22.04.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 16 मार्च 2001 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11615068408 है।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 29.12.2025 को चैक मीटर (GU365241) स्थापित किया गया।*
3. *जिसमें चैक मीटर और मेन मीटर की रीडिंग में अंतर नहीं पाया गया।*
4. *परिवादी का विद्युत बीजक रू० 30820.00 से संशोधित कर रू० 26157.00 कर दिया गया है।*
5. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*
6. *परिवादी द्वारा दिनांक 10.03.2026 को बिल का भुगतान रू० 18370.00 कर दिया गया।*

अतः वाद निरस्त करने योग्य है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकयती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया कि चैक मीटर और मेन मीटर की रीडिंग में अंतर नहीं पाया गया एवं परिवादी द्वारा संशोधित विद्युत बीजक का रू 18370.00 भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है, कि चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक सख्या EM9771 सही प्रकार कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो मे किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता हैं एवं परिवादी द्वारा भी संशोधित विद्युत बीजक का भुगतान कर दिया गया है जिससे

Eléctricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

स्पष्ट है कि परिवादी संशोधित बीजक से संतुष्ट है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-4-2026	25/04/26	25/04/2
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 141/2025

मौ० इमरान अली, — परिवादी
निवासी–हसनपुर,
कल्याणपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27/04/2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल सशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है "कि वर्तमान बिल उपखण्ड सहसपुर अंर्तगत मे ग्राम कल्याणपुर में उपभोक्ताओं के वर्तमान माह के बिल अधिक आए हुए है, जिसमें उपभोक्ता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। महोदय उपभोक्ता के वर्तमान बिल पिछले बिल से कई गुना आए हुए है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपभोक्ता के बिल को ठिक करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1050, दिनांकित 13/02/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 22 फरवरी 2001 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11615068324 हैं।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 23.12.2025 को चैक मीटर (GU365244) स्थापित किया गया।*
3. *जिसमें चैक मीटर और मेन मीटर की रीडिंग में अंतर नहीं पाया गया।*

4. *परिवादी का विद्युत बीजक रू0 41811.00 से संशोधित कर रू0 35552.00 कर दिया गया है।*
5. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

अतः वाद निरस्त करनें योग्य है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 2921, दिनांकित 22.04.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि–

1. *"परिवादी का सयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 22 फरवरी 2001 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN11615068324 है।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 23.12.2025 को चैक मीटर (GU365244) स्थापित किया गया।*
3. *जिसमें चैक मीटर और मेन मीटर की रीडिंग में अंतर नही पाया गया।*
4. *परिवादी का विद्युत बीजक रू0 41811.00 से संशोधित कर रू0 35552.00 कर दिया गया है।*
5. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*
6. *परिवादी द्वारा दिनांक 10.03.2026 को रू0 15,000.00 एवं दिनांक 31.03.2026 को रू0 10,000.00 बिल भुगतान कर दिया गया।*

अतः वाद निरस्त करने योग्य है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकयती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा मच को अवगत कराया कि चैक मीटर और मेन मीटर की रीडिंग में अंतर नहीं पाया गया एवं परिवादी द्वारा सशोधित विद्युत बीजक का रू 25000.00 भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है, कि चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी का वर्तमान विद्युत मापक संख्या EM1447 सही प्रकार कार्य कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता हैं एवं परिवादी द्वारा भी संशोधित विद्युत बीजक का भुगतान कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि परिवादी संशोधित बीजक से संतुष्ट है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स 0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर* ***परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार,*** *देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 146 / 2025

श्री मतलूब — परिवादी
निवासी– नया नगर, मेहुवाला माफी,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मेरा बिजली कनेक्शन नं0 MP12112431235 है जिसको 06.10.2022 में काट दिया गया था जिसका बकाया रू0 24312 था, उसके पश्चात मैने 19.04.2023 को जमा करा दिये गये थे 17000 रूपये उसके बाद पुराना मीटर न मिलने के कारण मुझे नया मीटर दिया गया था जिसको 01.06.2023 को लगाया गया था, जिसमें उस समय 564 रीडिंग थी उसके बाद अगस्त 2023 को उसको भी काट दिया*

गया था। 23 में मैने 10000 (दस हजार रूपये) और जमा किये गये थे उस के बाद 12.03.2024 को मैने 5000 (पांच हजार) रूपये और जमा किये थे। इस प्रकार मे 12.03.2024 तक मैने 32000 (बत्तीस हजार) रूपये जमा कर चुका हूँ और अगस्त 2023 से मेरे पास न कोई बिल आया न मुझे मेरा मीटर दिया गया है और अभी भी मेरे पास 36000 रूपये बकाया बताया जा रहा है। अतः महोदय मुझे नया कनेक्शन लेना है जिसके लिए मुझे इस बिल की वजह से बहुत समस्या आ रही है। मेरी समस्या का निवारण करे आपकी बडी कृपा होगी। दो साल से गणेशपुर के चक्कर काट रहा हूँ और कोई भी मेरी सहायता नही कर रहा है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5959 दिनांकित 26/02/2026 से मंच को को अवगत कराया गया है कि "वर्तमान *में शिकायतकर्ता का विद्युत बिल बकाया होने के कारण संयोजन संख्या MP12112431235 को दिनांक 24.08.2024 से अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि शिकायतकर्ता के विद्युत बिल का अवलोकन करने हेतु आगामी तिथि प्रदान करने की कृपा करें। ताकि विस्तृत रूप से अवलोकन कर माननीय मंच के समक्ष प्रतिउत्तर प्रेषित किया जा सके।*

उपरोक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 6078 दिनांकित 10/04/2026 से मंच को को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता श्री मतलूब निवासी– नया नगर, मेंहूवाला, देहरादून द्वारा मा० उपभोक्ता निवारण मंच के समक्ष अपने घरेलू विद्युत सयोजन से सम्बन्धित वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में शिकायतकर्ता का संयोजन संख्या MP12112431235*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के सापेक्ष उपभोक्ता का विद्युत बिल सशोधित कर के नया स्मार्ट मीटर स्थापित कर सप्लाई सुचारू कर दी गयी हैं।''

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या MP12112431235 के विद्युत बिल संशोधित करके नया स्मार्ट मीटर स्थापित कर सप्लाई सुचारू कर दी गयी है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संशोधन किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल सशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियो में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड़समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

... Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 148 / 2025

श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ,
निवासी–रिवरैन पब्लिक स्कूल के पास,
राजीव जूयाल मार्ग, ब्राह्मणवाला,
निरंजनपुर माजरा, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 20.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके न्यूट्रल लाइन में फेज करंट और UPCL की दोषपूर्ण बिजली आपूर्ति के कारण सुरक्षा खतरे के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए लिख रहा हूँ जो विद्युत आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखने में लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण मेरे निवास स्थान पर फिर से गंभीर वोल्टेज उतार–चढाव हो रहा है। यह एक बार–बार होने वाली समस्या है, क्योंकि जनवरी 2025 में मुझे ऐसी ही समस्या का सामना करना पडा था, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ था। मैंने*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आपके संदर्भ के लिए मार्च 2025 की पिछली शिकायत ईमेल थ्रेड संलग्न की है, जिसमें पिछली घटना और मेरी अनसुलझी शिकायतों का विवरण दिया गया है।

उपभोक्ता का विवरण:

- उपभोक्ता नाम: श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ
- कनेक्शन नंबर: SD25312181586
- खाता नंबर: 41900179802
- स्थान : रिवरैन पब्लिक स्कूल के पास, राजीव जूयाल मार्ग, ब्राह्मणवाला, निरंजपुर, माजरा देहरादून।

वर्तमान समस्या का विवरण:

हाल ही में, मेरे निवास स्थान पर UPCL की दोषपूर्ण बिजली आपूर्ति के कारण गंभीर वोल्टेज उतार चढाव हो रहा है। विशेष रूप से, मैं न्यूट्रल लाइन में फेज करंट का पता लगा रहा हूँ, जो वितरण प्रणाली में एक गंभीर दोष का संकेत देता है। यह अस्थिरता न केवल विद्युत उपकरणों के लिए जोखिम पैदा करती है बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। इस दोषपूर्ण आपूर्ति के कारण, जब मैं अपना लैपटॉप प्लग इन कर रहा था, तो मुझे बिजली का झटका लगा, जो गंभीर चोट का कारण बन सकता था। सौभाग्य से, अभी तक कोई उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, लेकिन इस समस्या की पुनरावृत्ति को देखते हुए हानि और वित्तिय नुकसान की संभावना बहुत अधिक है। पिछली घटना का संदर्भ: संलग्न ईमेल थ्रेड (मार्च 2025 की तारीख वाली) में दस्तावेजित अनुसार, 7 जनवरी 2025 को एक समान न्यूट्रल फेलियर हुआ था (शिकायत नंबर: 20701250824), जहाँ न्यूट्रल लाइन के बिना दोनों फेज करंट सप्लाई हो रहे थे। इससे मेरी बिजली मीटर जल गई और कई उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे अनुमानित रू0 8,100 का नुकसान हुआ। मेरी शिकायतों के बावजूद UPCL ने पर्याप्त निवारण प्रदान नहीं किया,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मेरी मुआवजे की मांगों को अनदेखा किया, और यहां तक कि मीटर प्रतिस्थापन के लिए अनुचित शुल्क लिया। मुद्दा लोकपाल और संबंधित अधिकारियों तक बढाया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। UPCL की ओर से यह लापरवाही का पैटर्न सिस्टेमैटिक विफलता को दर्शाता है।

उल्लंघन और सुरक्षा चिंताएः

- सुरक्षा का अधिकारः विद्युत अधिनियम, 2003 और उपभोक्ता संरक्षण विनियमों के तहत, UPCL को सुरक्षित और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। न्यूट्रल लाइन में फेज करंट की उपस्थिति और परिणामी वोल्टेज उतार–चढाव इन मानकों का उल्लंघन करते हैं और सीधे सुरक्षा खतरा पैदा करते है, जिसमें मुझे लगा बिजली का झटका शामिल है।
- निवारण का अधिकारः इस समस्या की एक वर्ष के भीतर पुनरावृत्ति को देखते हुए, UPCL द्वारा निवारण उपायों को लागू न करने से घोर लापरवाही साबित होती है।
- आगे की क्षति की संभावनाः हालांकि इस बार मुझे कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है (अभी तक), बिजली का झटका और चल रहे उतार–चढाव यदि तुरंत संबोधित नहीं किए गए तो उपकरण क्षति या बदतर घटनाओं का कारण बन सकते है।

मांगी गई राहतः

1. तत्काल कार्रवाईः दोषपूर्ण आपूर्ति की जॉच और सुधार के लिए एक तकनीकी टीम भेजें, जिसमें न्यूट्रल लाइन में फेज करंट को सुधारना शामिल है, ताकि आगे कोई जोखिम या क्षति न हो। कृपया 24–48 घंटों के भीतर इसकी समयसीमा की पुष्टि करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. मुआवजा: हालांकि इस बार कोई उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं हुए, मैं बिजली के झटके और इससे हुई परेशानी के लिए नाममात्र मुआवजा मांगता हूँ (जैसे रू0 5,000–10,000), साथ ही जानवरी 2025 की घटना से अनसुलझे रू० 8,100 के नुकसान की प्रतिपूर्ति। यदि सिद्ध वित्तीय नुकसान के बिना मुआवजा संभव नहीं है, तो कृपया भविष्य की घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों या प्रोत्साहनों पर मार्गदर्शन प्रदान करें।
3. जाँच और रिपोर्ट: इस समस्या के पुनरावृत्त होने का विस्तृत स्पष्टीकरण, जिसमें पिछली शिकायत के बाद की गई कोई सुधारात्मक कार्रवाइयां शामिल हों, और बिजली आपूर्ति में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आश्वासन।
4. यदि आवश्यक हो तो बढ़ावा: यदि यह शिकायत 7 दिनों के भीतर हल नहीं की जाती है, तो मैं मामले को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (देहरादून), विद्युत लोकपाल, और उपभोक्ता अदालत तक बढाऊंगा। इसके अलावा, सुरक्षा निहितार्थों और पुनरावृत्ति को देखते हुए, मैं भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं (जैसे लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने के लिए) और विद्युत अधिनियम के तहत लापरवाही के लिए औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करने या निगम के खिलाफ दावा दायर करने पर विचार कर रहा हूँ। कृपया सलाह दें कि क्या UPCL के पास ऐसी शुल्क या दावों को दायर करने की कोई आंतरिक प्रक्रिया है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि बढ़ावा से बचा जा सके और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो। संलग्नक में शामिल है:

1. पिछली शिकायत ईमेल थ्रेड (Gmail – Urgent Complaint Against UPCL for Negligence & Unjust Charges.pdf)
2. (वर्तमान समस्या के कोई फोटो या सबूत, जैसे वोल्टेज रीडिंग या झटके की घटना का विवरण, यदि उपलब्ध हो तो जोड़ें)

मैं आपकी त्वरित प्रतिक्रिया और समाधान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप मुझे +91-8077397276 / +91-7078043205 पर संपर्क कर सकते हैं यदि कोई और जानकारी चाहिए।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2489, दिनांकित 26/02/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, रिवरैन पब्लिक स्कूल के पास, राजीव जुयाल मार्ग, ब्राह्मणवाला पर पूर्व वर्णित शिकायत जो पूर्व में 2025 में घटित हुई थी, 1 नग उपभोक्ता कि 3 फेज सर्विस केबिल Burn होकर Short होने के कारण उक्त वोल्टेज उतार चढाव न्यूट्रल में फेज की शिकायत हो गयी थी जिसे उक्त उपभोक्ता की केबिल बदलकर ठीक कर दिया गया था।*

वर्तमान में AB केबिल जो पोल से पोल उक्त एरिया में जाती है, वह अज्ञात वाहन द्वारा खींचें जाने के कारण क्षतिग्रस्त होने से शॉर्ट हुई थी जिसके निवारण हेतु AB केबिल की ठीक करने के उपरांत परिवर्तक की न्यूट्रल एवं बोडी Earthing नये सिरे से कर दी गयी है। उक्त परिवर्तक पर न्यूट्रल एवं बोडी की नयी Earthing करने से उक्त क्षेत्र में न्यूट्रल में Current की समस्या का वर्तमान में निरीक्षण कर दिया गया है। नवीन Earthing Installation की फोटो संलग्न कर प्रेषित है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी उपरोक्त आख्या से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी मूल शिकायत का समाधान परिवादी से संबंधी परिर्वतक पर न्यूट्रल एवं Earthing नये सिरे से कर कर दिया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नही करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

20/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

20/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 149/2025

श्रीमती स्वाती केयर ऑफ श्री मेहराब मैसी, — परिवादी
निवासी– 284/2, ग्रीन वैली कॉलोनी,
अग्रवाल लेन, राजपुर रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.04.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Discrepancy Found in Electricity Bill.

The Complainant submits and prays as under:-

" I wish to lodge a formal complaint regarding a discrepancy observed in my recent electricity bill issued for ACCOUNT NUMBER – 40106244407, Service Connection number – CD71263108202 registered in the name of Sh Mehrab Messey, for the billing period December 2025 and January 2026. The bill reflects an unusually high number of units consumed and an excessive billed amount, which appears inconsistent with my normal electricity usage pattern. Upon reviewing my past bills and consumption records, I have found a significant variation that requires immediate verification and correction. I request your good office to kindly arrange for: Verification of the meter reading and billing calculation. Inspection/testing of the electricity meter, if required. Necessary correction and issuance of a revised bill at the earliest. I am enclosing copies of the disputed bill for your reference. I shall be grateful if this matter is investigated promptly and resolved at the earliest to avoid further inconvenience."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 71, दिनांकित 25/02/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्रीमती स्वाती के परिसर में दिनांक 2/01/2025 को उपभोक्ता के अनुरोध पर चैक मीटर स्थापित किया गया एवं दिनांक 01/02/2025 को फाईनल किया गया, जिसमें -1% का विचलन पाया गया। अतः महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 128, दिनांकित 23.04.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है *"कि श्रीमती स्वाती के मापक की माननीय मंच के आदेसानुसार MRI करवाने उपरान्त MRI रिपोर्ट आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।"*

परिवादी सुनवाई तिथि दिनांक 23.04.2026 को मच के सम्मुख उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी उपखण्ड अधिकारी की मौजूदगी में स्वीकार किया गया कि उनके आवास पर एक Servant Room भी है जिसमें लगभग पॉच लोगों का परिवार निवारा करता है, संभवता उनके द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अवधि में विद्युत का दुर्पयोग किया गया होगा जिस कारण अधिक विद्युत का अंकन विद्युत मापक द्वारा किया गया है। अतः वह उक्त अवधि की अकन की गई विद्युत खपत से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट, कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है, उल्लेखित अवधि में विपक्षी द्वारा परिवादी को स्मार्ट मीटर की वास्तविक मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे थे, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा वास्तविक विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है जो नियामानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति मे परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 151/2025

श्री प्रमोद सेमवाल पुत्र श्री दयाराम सेमवाल, — परिवादी
निवासी–मकान नं० 64, आम बाग,
वीस्थापित, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 22.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।
परिवादी का कथन है *"कि मेरे द्वारा दिनांक 03–जनवरी–2026 को विद्युत विभाग उपखण्ड कार्यालय, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश में 10 किलो वाट के कनैक्शन हेतु आवेदन किया गया था किन्तु अभी तक मेरा कनैक्शन नहीं लगाया गया है। कई समय से ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ कहते आज हो जायेगा कल हो जायेगा। परन्तु एक महीने से अधिक हो गया अभी तक कनैक्शन नहीं लगाया गया है। मैं बहुत परेशान हूँ रोज–रोज कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गया हूँ। जेई व एसडीओ साहब कोई सुनने को तैयार नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी की शिकायत का संज्ञान लेते हुये प्रार्थी का विद्युत संयोजन लगवाने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा।"*
उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1264, दिनांकित 26/02/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है किः–

1. *"शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 03.01.2026 को 10 KW घरेलू विद्युत संयोजन हेतु इस उपखण्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी पंजीकृत संख्या–863030126001 है।*
2. *उक्त आवेदन के क्रम में स्थलीय निरीक्षण करने पर विद्युत संयोजन संख्या RK12111032526 द्वारा उक्त इमारत 50.9 KW Connected load के साथ ऊर्जाकृत पायी गयी (जाँच आख्या संलग्न) जिस कारण उक्त परिसर का विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है।*
3. *अतः महोदय यदि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त परिसर का विद्युतीकरण करने के लिए परिवर्तक स्थापित किये जाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराया जाता है व विधिवत रूप से विभागीय नियमों के अनुरूप आवश्यक शुल्क जमा करा दिये जाते है तो इसके उपरान्त अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायती पत्र के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी की पूर्व में प्रस्तुत आख्या परिवादी को हस्तगत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि 26.03.2026 को अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि परिवादी के आवेदन के क्रम में स्थलीय निरीक्षण करने पर (विद्युत संयोजन संख्या RK12111032526) उक्त इमारत 50.9 KW Connected load के साथ ऊर्जाकृत पायी गयी (जाँच आख्या संलग्न) जिस कारण उक्त परिसर का विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है। अतः यदि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त परिसर का विद्युतीकरण करने के लिए परिवर्तक स्थापित किये जाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराया जाता है व विधिवत रूप से विभागीय नियमों के अनुरूप आवश्यक शुल्क जमा करा दिये जाते है तो इसके उपरान्त अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या के सापेक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करायी गयी एवं अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में विद्युतीकरण करने के लिए परिवर्तक स्थापित किये जाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः बिना परिवर्तक स्थापित किये गये ही फिलहाल 10 किलोवाट का संयोजन अवमुक्त किया जाये।

विपक्षी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी (विद्युत संयोजन संख्या RK12111032526) की उक्त इमारत 50.9 KW Connected load के साथ ऊर्जाकृत पायी गयी जिस कारण उक्त परिसर पर परिर्वतक स्थापित कर ही नया विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव होगा, जिस हेतु परिवादी को अपने परिसर में उचित स्थान उपलब्ध

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रों0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कराना होगा तथा आवश्यक शुल्क भी जमा करना होगा। मंच का मत है कि जिस इमारत में Connected load 50.9KW है उस इमारत पर 10 KW का संयोजन अवमुक्त किया जाना तकनीकि आधार पर सम्भव नहीं है। उपरोक्त के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विभागीय नियमों के अनुरूप प्रस्तुत प्राकलन शुल्क जमा करा देने एवं परिवर्तक के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त नियामानुसार विद्युत संयोजन अवमुक्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विभागीय नियमों के अनुरूप प्रस्तुत प्राकलन शुल्क जमा करा दिये के उपरान्त नियामानुसार विद्युत संयोजन अवमुक्त करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन** के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, **बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

22/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रो0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 156/2025

श्री मनोज कुमार गुप्ता — परिवादी
निवासी– 42, चकराता रोड, बल्लूपुर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आई.डी.एफ. विद्युत बिल प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" प्रार्थी के परिसर पर स्थित विद्युत संयोजन संख्या SD666116156829 चल रहा है, महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी को माह 03/2025 से माह 11/2025 तक आई0डी0एफ0 के आधार पर बिल निर्गत किया गया, उससे पूर्व भी प्रार्थी को प्रत्येक वर्ष आई0डी0एफ0 के बिल दिये जाते है व उनको समायोजन प्रार्थी के बिलों में नही किया जाता है। महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि आप भली–भाँति परिचित है कि आई0डी0एफ0 बिल की अधिकतम अवधि दो माह है परन्तु यू0आर0सी0 के नियमों*

का पालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी आपको यह भी ज्ञात कराना चाहता है कि यू0पी0सी0एल0 द्वारा बिजली काटने की धमकियॉं दी जा रही है जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से बहुत परेशान व पीडित है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 55 दिनांकित 16/04/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया है जो कि निम्ननुसार है:–

अभिलेखीय साक्ष्य:–

1. *उपभोक्ता के विद्युत संयोजन SD666116156829 की कम्प्यूटर जनित History (संलग्नक– A) ।*
2. *उपभोक्ता के विद्युत संयोजन परिसर की दिनांक 16.03.2026 को की गई चैकिंग की चैकिंग रिर्पोट बुक सख्या 65, कम संख्या 40 की छायाप्रति (संलग्नक– B)।*

अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार तथ्य एवं आख्या:–

1. *उपभोक्ता द्वारा कारपोरेशन से 9 किलोवाट विद्युत भार का आवेदन कर विद्युत सयोजन संख्या SD66116156829 निर्गत करवाकर उसके सापेक्ष विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है।*
2. *उपभोक्ता के उपरोक्त विद्युत संयोजन के परिसर का दिनांक 16.03.2026 को अवर अभियन्ता, लाईन स्टाफ की उपस्थिति में चैकिंग की गई, संलग्न चैकिंग रिर्पोट में उपभोक्ता के परिसर में पाये गये विद्युत उपकरणों का विवरण अंकित है। विद्युत उपकरणों का कुल विद्युत भार 58.79 किलोवॉट पाया गया है।*
3. *उपभोक्ता के परिसर में दि0 16.02.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। माह जनवरी 2026 में मीटर द्वारा अधिकतम डिमांड 36.35 किलोवॉट एवं फरवरी 2026 में अधिकतम डिमांड 28.43 किलोवॉट दर्ज की गई है।*

4. उपभोक्ता द्वारा अनुबन्धित विद्युत भार का उल्लघन कर औसतन 32.39 किलोवॉट विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा है जिससे अधिक लोड के कारण मीटर खराब हो जाते है। उपभोक्ता के संयोजन की कम्प्यूटर जनित हिस्ट्री से स्पष्ट है कि वर्ष 2017 से अब तक उपभोक्ता के 9 मीटर खराब हुए हैं। कारपोरेशन में 25 किलोवॉट से 75 किलोवॉट के उपभोक्ताओं के संयोजन पर एल0टी0सी0टी0 लगा कर मीटरिंग की जाती है जिससे मीटर में उसकी क्षमता के अन्दर ही करन्ट प्रवाहित हो एवं मीटर नहीं खराब हो।

5. उपभोक्ता के आई0डी0एफ0 बिलों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मीटर संख्या 9151199 में डिस्प्ले में अंक नहीं दिखने के सम्बन्ध में परीक्षण शाला– दक्षिण को अवगत कराया गया था उनके द्वारा मीटर रीडिंग की विडियों भेजी गई जिसके आधार पर बिल सही किया गया है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 89 दिनांकित 23/04/2026 से मंच को अवगत कराया है कि "श्री मुकेश कुमार गुप्ता, चकराता रोड़, देहरादून (विद्युत संख्या SD66116156829) के वाद संख्या 159/2025 के सम्बन्ध में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अवगत कराये गये तथ्यों के संदर्भ में लिखित रूप में निम्नलिखित तथ्यों के सम्बन्ध में मा0 उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच सें अनुरोध किया जा रहा है–

1. "उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 SD66116156829 की कम्प्यूटर जनित History के अनुसार उपभोक्ता द्वारा उनके अनुबन्धित भार का उल्लंधन कर अधिकतम डिमांड 36.35 किलोवॉट तक प्रयोग में लाया गया है इतने अधिक लोड के कारण उनके संयोजन पर स्थापित मीटर 2017 से 2025 तक कुल 8 बार मीटर या तो

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई मेल cgrfgz@gmail.com

जल गये या फिर खराब हो गये, जिससे कारपोरेशन को मीटर बदलने में राजस्व की हानि हुई है। उपभोक्ता के संयोजन परिसर की दिनाक 16.03.2026 को की गई चैकिंग की चैकिंग रिर्पोट बुक संख्या 65, कम संख्या 40 में भी अनुबन्धित भार से कई गुना ज्यादा विद्युत भार के उपकरणों का परिसर में प्रयोग करना/स्थापित होना पाया गया।

2. *उपभोक्ता के बिल दिनांक15.12.2025 के अनुसार मीटर रीडिंग 94117 KWH पाई गई थी। दि0 20.02.2025 से 15.12.2025 तक 298 दिनो में 94117 KWH रीडिंग की खपत हुई अतः एक दिन में 315.82 यूनिट की खपत हुई। नौ किलोवाट भार एक माह में अधिकतम 6480 यूनिट बिजली की खपत दर्ज करेगा, परन्तु उपरोक्त उपभोक्ता का एक दिन में खपत (94117 /298)= 315.82 यूनिट एवं एक माह में 315.82 X 30 = 9474.86 यूनिट की खपत दर्ज हुई जो कि अनुबन्धित भार का स्पष्ट उल्लंघन है जिस पर पैनाल्टी का प्रावधान है। अतः मा0 मंच से अनुरोध है कि उपभोक्ता द्वारा अनुबन्धित भार का उल्लंघन किये जाने के कारण उनके बिलों में मीटर सं0 9151199 स्थापित करने की दि0 20.02.2026 से प्रतिमाह पैनाल्टी लिये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनवा गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 23.03.2025 से 15.12.2025 अर्थात् 08 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.2.1(7) बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.2.1(7) "Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycle. In case meter is rendered inaccessible for two consuctive billing cycle, action as per Clause (7) of Sub-Regulation 5.1.2 shall be enforced" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 23.03.2025 से 15.12.2025 अर्थात् 8 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों मे से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 6 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 23.03.2025 से 15.12.2025 अर्थात् 8 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 6 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिये जाने के आधार पर ही विद्युत बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं** होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति **के 30 दिन** के भीतर **विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 30/04/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 157 / 2025

श्री ए०बी० लांबा पुत्र श्री जी०बी० लांबा,
निवासी– वान भवन अनारवाला,
पो०ओ० गढी कैंट, देहरादून। — **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — **विपक्षी**

कोरम — दिनाक: 27.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Inflated amount of Electricity Bill issued by the Respondent i.e UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

" On 14th January, 2026 I received a Bill from UPCL amounting to Rs.15900/- (Rs.Fifteen Thousand Nine Hundred Only) for consumption of 1890 Units (Bill Attached). Previously I had paid the Electricity Bill for Rs.651 (136 Units) for the period 30.11.2025 to 31.12.2025. Here I would like to bring to your notice the fact that I am a 78 Years Old widower living all alone in a two room house with minimum electric gadgets and my electric meter load in 1 KW only. From the attached Bill it is clear that my previous consumption ranges between 65 to 160 Units per month. On receiving such a high Bill, we contacted the Toll free customer care no, 1912, wherein the executive informed that the whole process will take at least two months if a complaint is raised through proper channel, so it is better to visit SDO and raise the complaint directly to him. So, we went to the electricity office on 27th Jan and met SDO, Mr Yadav at his office. On checking, Mr.Yadav also got convinced that there is some anomaly in the BIll. He

gave his contact number and assured that he will arrange to recheck the Bill and do the necessary at the earliest. One week passed and we called Mr.Yadav and he again told me that the matter is still under process. Suddenly on 8th Feb 2026, there was power breakdown, which I thought was a normal power cut, but I was shocked to find that only my electricity was cut. Next day on enquiring with the local line man, I came to know that my electricity was cut due to non payment of the Bill (Disputed bill of Rs 15900). On 9th Feb 2026, we immediately rushed to electricity office and met SDO, Mr Yadav. He checked the current status on his computer, which was still the same and then in front of us called the other person and asked him to regenerate the Electricity Bill, as instructed to him. SDO Mr Yadav then called the line man of our area and instructed him to restore the electricity in my home and again assured us that in 7-10 days we will receive an amended Bill. My electricity was ultimately restored at around 3 pm, after visiting the local electricity office. You can imagine the plight of an old man without electricity for the entire day. Then we waited for the entire week, and on 16th Feb 2026, we again called Mr Yadav. To our utter surprise, he bluntly asked us to deposit the entire Bill amount and said that the meter reading is correct. In this situation we didn't know what to do, so we again called toll free number 1912 and lodged a fresh complaint for meter checking. The complaint no is 21602260293. This is such unacceptable behaviour from a senior official of UPCL department. For almost 20 days, he kept on assuring us that the Bill will be rectified and the fault is on their part, now suddenly he is saying that the Bill is correct. As he kept on assuring us, we haven't lodged any written complaint, but now the matter has reached the point that we are forced to escalate the matter to the higher authorities and lodge a complaint against SDO Mr Yadav for not properly attaining the complaint and mentally harassing a 78 years old Senior citizen.

Now we require following information/clarification from UPCL:

1. How a Bill is being generated in 14 days

2. In 14 days, the bill consumption was shown as 1890 units, which means 135 Units per day. How can a person consume 135 Units per day, is it practically possible?

3. We require daily consumption details for the period from 1st Jan to 14th Jan 2026 (Bill period).

4. If SDO Mr Yadav is confirming that the meter reading is correct, then we require the proof of meter checking and want a written confirmation from Mr Yadav.

5. What is the compensation policy for such harassment? And is there any special clause with regards to Senior citizen harassment.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

I request you to kindly take the matter as TOP Priority and resolve my issue at the earliest. This is really a serious matter and needs to be resolved at the earliest. Today I.e 17th Feb, we again visited SDO office and gave a written complaint(copy attached) and talked to SDO. His response was very blunt and he said that we had already done the checking. We asked him not to cut the electricity till the matter is resolved.
Now our only hope is with you. We request you to please look in to the matter and urgently resolve the case and save an old person from such harassment."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 78, दिनांकित 07/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि दिनांक 04–01–2026 (01/2026) को संयोजन संख्या 7012451093248 (Mr. A B Lamba) का विद्युत बीजक निर्गत किया गया था। किन्तु त्रुटिवश पुनः दिनांक 14–01–2026 को उपभोक्ता को 2582 Kwh रीडिंग तक का विद्युत बीजक निर्गत कर दिया गया। M/s Genus Pvt Ltd. से प्राप्त MDM की Detail के अनुसार उपभोक्ता की दिनांक 03–03–2026 तक 946.44 Kwh/1054.02 KVAH रीडिंग पायी गयी है। उपभोक्ता के उक्त त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक को संशोधित करने हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त सूचना आपके सुलभ सन्दभार्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 129, दिनांकित 18.04.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है *"कि संयोजन संख्या 7012451093248 (Mr. A B Lamba) पर दिनाक 14–01–2026 को निर्गत त्रुटिपुर्ण विद्युत बीजक को Delete कर दिया गया है एवं उपभोक्ता को माह फरवरी, मार्च 2026 तक का विद्युत निर्गत कर दिया गया है। अतः उक्त सूचना आपके सुलभ सन्दभार्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर लेजर का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 14.01.2026 को निर्गत त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक को Delete कर दिया गया है एवं उपभोक्ता को माह फरवरी, मार्च 2026 तक का विद्युत निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर, कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद -व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 27/04/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 159/2025

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, — परिवादी
निवासी– नया गाँव, हरिपुर कांवली,
पो०ओ० सीमाद्वारा, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 24/04/2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है *"कि मेरा बिजली का बिल अधिक आया है जो कि गलत है महोदय मैंने जून 2025 तक बिजली का बिल भरा हुआ है, उसके बाद मुझे बिजली का बिल प्रदान नहीं हुआ। इस प्रकार सितम्बर में हमारे क्षेत्र में बिजली के मीटर बदल दिए गये दिनांक 07.09.2025 को मेरा मीटर भी बदल दिया गया। जो कि स्मार्ट मीटर है उसके बाद दिनांक 11.10.2025 को पहली बार मुझे मेरे मोबाइल फोन पर 23961 रूपये (तेइस हजार नौ सौ इकसठ रूपये) का बिल प्राप्त हुआ। जो कि 02 माह का है, तथा अत्याधिक है तब से अभी तक मैं कई बार बिजली कार्यालय बसन्त विहार चला गया परन्तु कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिला। महोदय मैं जून 1999 से देहरादून में इसी घर में रह रहा हूँ जो कि एक छोटा सा घर है साधारणत: मेरा बिजली का बिल 600 रू० – 700 रू० प्रति माह आता है। अत: महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त विषय पर उचित जाँच कर मुझे नया बिल प्रदान करने कि कृपा कीजिएगा।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 29, दिनांकित 09/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, निवासी– नया गांव, हरिपुर कांवली, देहरादून (विद्युत संयोजन सख्या SD16311105039) द्वारा शिकायत की गई है कि उनका मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगने के बाद दिनांक–11.10.2025 को पहली बार उनका बिल रू० 23,961 का आया जो 2 माह का है तथा अत्याधिक है। इस सम्बन्ध में आवगत कराना है कि उपभोक्ता के संयोजन पर दिनांक 07.09.2025 को स्थापित मीटर संख्या 962162 बदलकर फर्म मै० जीनस पावर इनफ्रास्टकर्चरा द्वारा स्मार्ट मीटर संख्या 5838513 लगाया गया। मीटर बदलने की प्रक्रिया के अन्तर्गत फर्म द्वारा मीटर की अन्तिम रीडिंग की फोटो खींच कर जीनस ऐप में अपलोड किया जाता है जिससे उसे Approve करते समया अवर अभियन्ता द्वारा फोटो से अन्तिम मीटर रीडिंग की पुष्टि की जा सकें, उपभोक्त के मीटर की अन्तिम रीडिंग की अपलोड की गई फोटो संलग्न की जा रही है, रीडिंग 23590 KWH पाई गई है। जिसके अनुसार ही मीटर सीलिंग अपडेट हुई है एवं तादोपरान्त बिल बना है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपभोक्ता बिलिंग हिस्ट्री संलग्न है। उपरोक्त मा. मंच को सूचनार्थ प्रेषित है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर दिनांक 07.09.2025 को नये मीटर से बदल दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि पुराना मीटर उतारते समय उक्त विवादित मापक की रीडिंग 23590 यूनिट दर्शायी गई है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 76 दिनों में (दिनांक 23.6.2025 से दिनांक 07.09.2025) 3089 (23590–20501) यूनिट की विद्युत खपत की है, जो कि 40.64 अर्थात् 41 यूनिट प्रति दिन होती है। परिवादी को उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खप पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

परिवादी के स्वीकृत 1 किलोवाट विद्युत भार के घरेलू संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 41 यूनिट प्रतिदिन की खपत मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

माननीय UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION के विनियम UERC (The Electricity Supply Code) Release of New Connections and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम **5.2.1(2)** के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक में मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि परिवादी को माह 02/2026 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 135.66 अर्थात् 136 यूनिट (193+89+125)/3 के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित करे तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत (513 यूनिट) को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 02/2026 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रो यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 135.66 अर्थात् 136 यूनिट (193+89+125)/3 के अनुसार पुराने मीटर की खपत को संशोधित करे तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत (513 यूनिट) को यथावत् रखते हुए संशोधित बिल जारी करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे।

इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार,

24-4-2026	24/04/26	24/04/2
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 160/2025

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत सिंह — परिवादी
निवासी– विलासपुर कांडली गांव,
सचिवालय कालोनी, पो0ओ0– गंगोड
गढीकैन्ट, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 23.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मेरे संयोजन सं0 SD1617162148 हमें दिसंबर 2025 में रू0 69055.00 का बिल प्राप्त हुआ जिसके संबंध में हमारे द्वारा उपखण्ड कार्यालय मे सम्पर्क किया गया, जिसमें हमें पता चला कि विद्युत विभाग के रिकार्ड में हमारे वास्तविक मीटर सं0 80299742 LNT मेक के स्थान पर स्मार्ट मीटर सं0*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5566550 दिनांक 25.04.2025 में बदल दिया गया है, जबकि वर्तमान समय में मेरे निवास स्थान पर उपरोक्त मापक सं0 80299742 स्थापित है परन्तु विद्युत बिलों में मीटर सं0 U363407 दर्शाया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे विद्युत संयोजन में प्रदर्शित स्मार्ट मीटर सं0 5566550 एवं बिल में दर्शित मीटर सं0 U363407 के स्थान पर मेरे वास्तविक मीटर सं0 80299742 की वास्तविक रीडिंग के अनुसार वर्तमान तक के विद्युत बिलों को संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1411 दिनांकित 09/03/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता श्री नरेन्द्र सिंह, सचिवालय कालोनी, बिलासपुर कांडली, देहरादून (विद्युत संयोजन सं0 SD16171627148) द्वारा शिकायत की गई है कि उनके संयोजन पर मीटर संख्या 80299742 स्थापित है परन्तु विद्युत विभाग के रिकार्ड में उनके वास्तविक मीटर सं0 80299742 के स्थान पर मीटर सं0 U363407 दर्शाया जा रहा है। उन्होंने उनके वास्तविक मीटर सं0 80299742 की वास्तविक रीडिंग के अनुसार वर्तमान तक के विद्युत बिलों को संशोधित करने को कहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के संयोजन पर कम्प्यूटर में त्रुटिवश गलत मीटर चढ़ गया है जिसके सुधार हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून एवं स्मार्ट मीटर लगाने वाली जीनस कम्पनी के प्रतिनिधि को कहा गया है।*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 30 दिनांकित 09/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता के संयोजन पर कम्प्यूटर में त्रुटिवश गलत मीटर चढ़ गया था जिसके*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सम्बन्ध में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 विभाग से गलत मीटर सीलिंग डिलीट करा कर उपभोक्ता के मीटर की वर्तमान रीडिंग के अनुसार बिल संशोधन कर दिया गया है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर कम्प्यूटर में त्रुटिवश गलत मीटर चढ़ गया था जिसके सम्बन्ध में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 विभाग से गलत मीटर सीलिंग डिलीट करा कर उपभोक्ता के मीटर की वर्तमान रीडिंग के अनुसार बिल संशोधन कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के त्रुटिवश गलत मीटर चढ़ जाने संबंधी शिकायत का निवारण आर0ए0पी0डी0आर0पी0 विभाग से गलत मीटर सीलिंग डिलीट करा कर उपभोक्ता के मीटर की वर्तमान रीडिंग के अनुसार बिल संशोधन कर कर दिया गया है।

परिवादी ने विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई के दौरान अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश***

प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23-4-2026	23/04/26	23/04
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 161/2025

श्रीमती मंजू इष्टवाल पत्नी श्री योगेश इष्टवाल — परिवादी
निवासी – वन्दावाल तिरूपति इन्क्लेव
मेहूवाला माफी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.04.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *प्रार्थी एक विद्युत विभाग का उपभोक्ता है। वर्तमान में प्रार्थी के पास विद्युत संयोजन संख्या– MP21428451185 है एवं विभाग द्वारा 11376.00 रूपये का विद्युत बिल प्रेषित किया गया है एवं इससे पूर्व में मुझे किसी प्रकार के बिजली के बिल प्राप्त नहीं हुए, उक्त सभी बिजली के बिल प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार से प्राप्त किये गये है जिससे प्रार्थी यह समझता रहा कि सोलर द्वारा जनित यूनिटों के माध्यम से ग्रिड की यूनिटों को Adjustment हो रहा है। अतः महोदय से निवेदन है जिस तिथि से प्रार्थी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के आवासीय परिसर में सोलर स्थापित किया गया, जिससे की उत्पादित की गई बिजली एवं मेरे द्वारा ग्रिड से प्राप्त की गई बिजली को समायोजन सही ढंग से किया जाए एवं मुझे सोलर की यूनिटों का कर बिल दिया जाये जिससे में भुगतान कर सकू।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1319 दिनांकित 07/03/2026 से मंच को निम्न बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1. *"शिकायतकर्ता के परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र के पश्चात् नेट मीटरिंग प्रणाली के अनुसार सोलर द्वारा उत्पादित विद्युत एवं ग्रिड से प्राप्त विद्युत का समायोजन करते हुए बिल तैयार किए जा रहे हैं।*
2. *विभागीय अभिलेखों (Consumer History/Consumer Leader) में शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर 9997305859 अंकित है, जिस पर प्रति माह कंप्यूटर जनित संदेश (SMS) एवं व्हाट्सएप के माध्यम से विद्युत बिल की सूचना प्रेषित की जाती है।*
3. *विभाग द्वारा जारी किए गये सभी बिल उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपाकालि को Export की गयी ऊर्जा तथा मीटर रीडिंग के आधार पर ही तैयार किए गए हैं।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा उपलब्ध एम0आर0आई0 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है, कि उल्लेखित अवधि में विपक्षी द्वारा परिवादी को नेट मीटरिंग प्रणाली के अनुसार सोलर द्वारा उत्पादित विद्युत एवं ग्रिड से प्राप्त विद्युत का समायोजन करते हुए बिल तैयार किए जा रहे है, जो

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

नियामानुसार सही है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो:
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 162/2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी
मै0 भारती एयरटेल एण्ड भारती सैल लि0
इनड्स टावर लिमिटेड
निवासी– नियर मेन ब्रांच एस.बी.आई. बैंक
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 28.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

1. *"That bill period 31-May-25 to 30-Jun-25 was issued amounting Rs- 77487/- which we had paid.*
2. *That bill period 30-Jun-25 to 31-Jul-25 was NA based for the amounting Rs-79461/- which we had also deposited .*
3. *That bill period 30-Jun-25 to 31-Jul-25 was raised consumption of total units 72723 for the amounting Rs- 584283/- such huge consumption on 25 KW loadfor 3 months is not possible. Even so many times we appeared at Division for correction in this bill but no response received then we had sent a mail on 6-Dec-25 but no action has taken by division.*
4. *That we had earlier submitted our grievance before your kind level but it was also returned to us with note of approach to division.*
5. *That again we had approached to division but intentionally bill correction not done . Continue disputed amount was reflected as an arrear which surcharge was also levied. That practice of the division is unjustified to raise the abnormal bill then earned the interest on it. It is totally harassment of the consumer.*

6. *That till Dec'25billing total recoverable amount declared as Rs-780843/- On 04-Feb-26 an adjustment was done Rs-174551/- and Jan-26 bill issued for the amounting Rs-664766/- & our supply was disconnected. We had submitted a representation to division on 07-Feb-26 in which we mentioned that how wrongly/intentionally the respective clerk is calculating & the Executive Engg is approving.*
7. *That on 09-Feb-26 again the assessment was revised and Rs-225409/- was reduced but still this correction not done as per rule. I had also sent a calculation detail to XEN on 07-Feb-26 how bill should be calculate.*
8. *That till 30-Jun-25, MU based bill were generated and paid. After that meter become defective and replaced on 05-Sep-25. By thus meter remain defective from 01-Jul-25 to 05-Sep-25 total 66 days. Not replacmentof meter for such delay is totally violation of SOP issue by Hon'ble UERC.*

(i) Consumption during this defective period 66 days was to be claimed17965 units. (average monthly consumption 8166 units prior 3 month whenever meter was functioning properly). (ii)- consumption from 06-Aug-25 to 31-Jan-26 recorded in

new meter total30865 units. By thus total claimable units should be 17965+30865=48830 units which charges approximately Rs-378432/- towards EC. Rs-19250/- towards FC from (Jul-25 to Jan-26 total 7 months) & towards ED Rs-29826/- and already paid amount during NA billing of Jul-25 for Rs-79461/- was to be reduce. By thus total claimable amount till Jan-26 bill was to be claim Rs-348047/- but the division has forcefully charged Rs-430843/-& unlawfully disconnect the supply. Even 7 days time also not provided after partial correction on the bill. In compulsion we had to paid the amount. By thus approximate Rs-82795/- over charged from us. No late payment surcharge can be claim because the divisional has intentionally bill not corrected for long time, huge disputed amount assed and earned the interest on it."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1145, दिनांकित 07/03/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता मै0 भारती एयरटेल लि0 (संयोजन संख्या CD0K000017929) का विद्युत मीटर संख्या 306780 को दिनांक 05.09.2025 को आई0डी0एफ0 होने के कारण मीटर संख्या 7910328 से परिवर्तित किया गया जिसमें मीटर सीलिंग सिस्टम में फीड करते समय आर0ए0पी0डी0आर0पी0 मॉड्यूल द्वारा औसत खपत*

66962 यूनिट जुड गयी जिस कारण उपभोक्ता का बीजक 72723 यूनिट पर निर्गत हुआ जिसे खण्ड कार्यालय द्वारा पूर्व की क्रमशः तीन बिलिंग एम0यू0 चक्र के औसत के आधार पर संशोधित कर रू0 174551.00 का क्रेडिट उपभोक्ता के लेजर में सी0सी0बी0आर0 द्वारा घटाया गया परन्तु संशोधित बीजक पर उपभोक्ता द्वारा दिनाक 09.02.2026 को प्रत्यावेदन दिया गया जिसमें उक्त संशोधित बिल से असहमति दर्ज कराई गई अतः उपभोक्ता के प्रत्यावेदन पर पुनः अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के बीजक में कुल रू0 399960.00 का क्रेडिट समायोजित होना था अतः उपभोक्ता के बीजक को पुनः संशोधित किया गया जिसमें उपभोक्ता के बीजक में रू0 225409 का पुनः क्रेडिट दिया गया। अतः कुल समायोजित धनराशि रू0 399960.00 को उपभोक्ता के बीजक से घटाया जा चुका है। चूँकि उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर से जारी किसी भी बीजक के सापेक्ष भुगतान नही किया गया था जिस कारण उपभोक्ता के बीजको पर लगा अधिभार सही प्रतीत होता है व उपभोक्ता द्वारा बीजको के भुगतान के साथ–साथ अधिभार का भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 09.03.2026, 09.04.2026 एवं 23.04.2026 नियत की गई थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा दूरभाष के माध्यम से भी अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि मे मच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई

कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति मे वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

28/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/04/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 07 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिये जाने के आधार पर ही बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

24/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/04/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 163/2025

श्री मनोज भण्डारी पुत्र श्री उदय सिंह भण्डारी — परिवादी
निवासी– चुक्खू मोहल्ला नजदीक गुरुद्वारा
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 24.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आई.डी.एफ. विद्युत बिल प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" निवेदन इस प्रकार से है कि मेरा विद्युत कनेक्शन नम्बर CD12131-236399 (41801556769) है मेरा विद्युत बिल अप्रैल 2025 से IDF में आ रहा है, विभाग में सूचित करने तथा वार्तालाप से मीटर बदलने हेतु बताया गया था, मेरा मीटर अप्रैल 2025 में IDF करा गया जिसमें रीडिंग 9535 यूनिट दर्शायी गयी तथा जनवरी माह 2026 का बिल भी IDF में 9535 यूनिट पर आया था। उसके पश्चात् जनवरी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

माह में ही (बिल के तीन दिन पश्चात्) मीटर चेंज करते हुए बताया गया कि आपके मीटर में 11101 यूनिट है तथा मीटर बदलने के बाद नया बिल 7706 रू0 का दे दिया गया है तथा भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की बात कही जा रही है। जिस कारण मुझे आपके दरवाजे पर आना पड़ रहा है। महोदय मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अगर विभाग द्वारा मीटर का IDF (मीटर खराब) किया गया है तो मीटर चेंज भी IDF में होना चाहिए और अगर मीटर खराब नही था तो मुझो एक वर्ष से रीडिंग गलत क्यों दी जा रही है तथा IDF मीटर से कितने बिलिंग तक बिल दे सकते है। महोदय बिल अधिक होने के कारण मैं बिल भुगतान में असमर्थ हूँ अतः बिल संशोधन करते हुए मुझे सही बिल देने की कृपा करें तथा संशोधन अवधि तक कनेक्शन न काटने हेतु आदेशित करें।"

मंच द्वारा विपक्षी को अपने पत्रांक संख्या 396 दिनांकित 23.02.2026 से परिवादी की शिकायत के क्रम में निस्तारण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया परंतु खेद का विषय है विपक्षी को दो सुनवाई तिथियो दिनांक 16.03.2026 एवं 09.04.2026 प्रदान की गई थी बावजूद इसके विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 16.04.2025 से 19.12.2025 अर्थात् 09 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.2.1(7) बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.2.1(7) "Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycle. In case meter is rendered inaccessible for two consecutive billing cycle, action as per Clause (7) of Sub-Regulation 5.1.2 shall be enforced" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को 16.04.2025 से 19.12.2025 अर्थात् 09 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 07 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 16.04.2025 से 19.12.2025 अर्थात् 09 बिल में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 165 / 2025

श्री विवेक गौर — परिवादी
निवासी– 120–बी, ऋषिविहार,
मेहुवाला माफी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding delay in refunding of security deposit amount by the Respondent i.e. UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

"I, Vivek Gaur, am filing this formal grievance to bring to your attention the gross negligence and severe deficiency in service by the UPCL Vasant Vihar Division office in Dehradun regarding the prolongrd delay in refunding my security deposit.Despite fulfilling

all formalities and surrendering the connection four months ago, the subdivision has failed to process my rightful refund, causing me significant mental agony and financial harassment.

Facts of Case:

- *Nature of Connection : Temporary Meter Connection (Duration: 8 days)*
- *Date of Installation: November 1, 2025*
- *Division/Sub-division : UPCL Vasant Vihar, Dehradun*
- *Deposit Amount: Rs 5,270*

Details of the Grievance:

1. *Following the 8 day usage period, I duly submitted the application for the disconnection and refund in November 2025.*
2. *Along with application, I submitted all required documentation, including the original deposit slip and a cancelled cheque for direct bank transfer.*
3. *Over the past four months, I have made several physical visits to the Vasant Vihar UPCL office to follow up on this matter. Each time, I was met with unprofessionalism, apathy, and empty assurances without any actual resolution.*

4. *I have also escalated the matter via email to the Division Head, attaching all proofs and bank details, but the administrative inaction persists.*

Relief Sought: The withholding of a consumer's deposit for over four months without any valid reason is a direct violation of consumer rights and UPCL's own service guidelines.

Therefore, I request the Hon'ble Forum to direct the concerned UPCL officials to:

1. *Immediately release the pending refund amount to my bank account.*
2. *Pay penal interest on the delayed refund amount from the date it became due, as per UERC regulations*
3. *Award compensation for the mental harassment, physical exhaustion and waste of time I have endured due to their sheer negligence.*

I have attached copies of the deposit slip, my details, the initial application for your perusal. I look forward to your prompt intervention and strict action against the arring officials."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 44 दिनांकित 13/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " उपभोक्ता श्री विवके गौड, निवासी 120 बी–ऋषि विहार, देहरादून द्वारा शिकायत की गई है कि उनकी सिक्योरीटी अमाउन्ट का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री विवके गौड़,

निवासी 120 बी–ऋषि विहार, देहरादून की सिक्योरीटी रू0 2,378.00 (दो हजार तीन सौ अठतर) का भुगतान उन्हें दि0 22.03.2016 को कर दिया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि की सिक्योरीटी रू0 2,378.00 (दो हजार तीन सौ अठतर) का भुगतान उन्हें दि0 22.03.2016 को कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की सिक्योरीटी रिफंड न किये जाने सबंधी शिकायत का निवारण सिक्योरीटी रिफंड कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टी सुनवाई के दौरान व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2016	27/04/16	27/04/16
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 166/2025

श्रीमती स्वाति शाही, — परिवादी
निवासी– ग्राम–रामगढ (शीशमवाडा),
पो०ओ० शेरपूर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 23.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं स्वाति शाही, ग्राम–रामगढ (शीशमवाडा) पो0ओ0 शेरपूर देहरादून की रहनी वाली हूँ मेरे पति की 3 साल पहले मृत्यु होने के बाद मुझे लाईट की बहुत प्रोब्लम हो रहा है, क्योंकि यह कनैक्शन मेरे जेठ के नाम का है तो बिजली नहीं देते है। मैनें बिजली के लिए आवेदन किया था पर कनैक्शन नहीं मिला। मेरे दो बच्चे है। जिने पढाई के लिए बहुत दिक्त हो रही है और बच्चो कि पढाई नहीं हो पा रही है। अतः कृपा करके मुझे बिजली कनैक्शन देने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 6067, दिनांकित 08/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि शिकायकर्ता श्रीमती स्वाति शाही, निवासी- ग्राम–रामगढ (शीशमवाडा) पो0ओ0 शेरपूर देहरादून द्वारा मा0 उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष अपने परिसर हेतु नये विद्युत संयोजन से सम्बन्धित वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि पंजीकरण संख्या 996160326004 के सापेक्ष उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन निर्गत कर दिया गया है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135-2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्रीमती स्वाति शाही, निवासी– ग्राम–रामगढ (शीशमवाडा) पो0ओ0 शेरपूर देहरादून के परिसर पर विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन निर्गत कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निरतारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद-व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

23/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 171 / 2025

श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार सैनी, — परिवादी
निवारी– क्रॉस 11, तपोवन एन्क्लेव,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 29.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल सशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं प्रार्थिनी सुनीता शर्मा निवासी 136/2/12 शिवम विहार रायपुर रोड देहरादून की हूँ। मेरा एक पलाट तपोवन क्रॉस 11 में स्थित है जिसमें टिनशेड बना हुआ है उसी टिनशेड को बनाने हेतु प्रार्थिनी ने विद्युत कनैक्शन लिया था। इस टिनशेड मे मेरा फर्नीचर रखा हुआ है। वह कोई भी नहीं रहता है। विद्युत उपभोग भी शून्य ही है मुझे धक्का लगा जब मेरा 13–12–2025 का बिल 40598 रू० आया। इतना ज्यादा बिल का मैं भुगतान करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैंने विद्युत का उपभोग ही नहीं किया। यू०पी०सी०एल० सहस्त्रधारा रोड के अधिकारियों ने कहा Reason Unexplained पर दिखाई नहीं किया अब वे लोग मुझ पर तथा मेरे बेटे को फोन करके दबाव बना रहे है कि बिल का भुगतान करे। पर उपभोग मैंने नहीं किया उसका भुगतान मैं कहाँ से करू और क्यों करूं। महोदय इस बिल में पहले उपभोगव व बाद का मीटर भी चैक कराये वह शून्य ही दिखा रहा है कभी में गयी हूँ तो बिजली महीने मे एक बार जाकर 10 मिनट हेतु जलाती हांऊगी वह भी कभी कभी महीनों नहीं*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जाती। इसी बात ये लोग मासिक बिल भी नहीं भेजते। अगर ये मासिक बिल भेजते तो मै पहले ही सचेत होकर बिल ज्यादा आने की शिकायत करती। महोदय से अनुरोध है कि जो विद्युत उपभोग मैंने नहीं किया रू 40598 के बिल निरस्तीकरण का आदेश जारी करके प्रार्थिनी को न्याय देने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड **अधिकारी ने आख्या पत्रांक** 04, दिनांकित 04/04/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि

1. *"उक्त परिसर पर संयोजन संख्या 7021312125167 जो कि श्रीमती सुनीता शर्मा के नाम से है (हिस्ट्री संलग्न- 1)*
2. *उक्त परिसर पर दिनांक 05.03.2025 को स्मार्ट मीटर लगाया गया तथा दिनाक 08.02.2025 से 30.11.2025 तक का विद्युत बिल कुल यूनिट 6598 बनाया गया।*
3. *विद्युत बिल अधिक आने के कारण उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.12.2025 को चैक मीटर लगाया गया तथा दिनाक 28.01.2026 को फाइनल किया गया। जिसमें परिसर पर लगा स्मार्ट मीटर सही पाया गया।*
4. *उक्त शिकायत के क्रम में स्मार्ट मीटर के डाटा अलार्म की जाँच की गयी जिसमें दिनांक 01.06.2025 से 14.10. 2025 तक अर्थ लोड पाया गया। "*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी द्वारा नियमित रूप से ससमय भुगतान भी किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी के परिसर पर दिनांक 05.03.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। इसके उपरान्त विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनाक 08.02.2025 से 30. 11.2025 तक अर्थात् 295 दिनों का 6598 यूनिट की विद्युत खपत का बिल जारी किया गया जो कि 22.37 यूनिट प्रति दिन होता है। परिवादी को उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार उल्लेखित विद्युत संयोजन

एक टिन शेड में स्थापित है, जिसमे उन का फर्नीचर रखा हुआ है एवं वहां पर कोई नही रहता है, जिस कारण विद्युत उपभोग भी शून्य ही रहता है, जिसकी पुष्टी उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान भी की गई।

मंच द्वारा दिनांक 23.03.2026 को सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया कि विवादित मापक संख्या 5561994 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करें, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनाक 20.04.2026 को परिवादी के उक्त मापक की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की गई, जिसके अवलोकन से विपक्षी के कथन कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 01.06.2025 से 14.10.2025 तक अर्थ लीकेज फाल्ट था वह सही पाया गया। विपक्षी के अनुसार उक्त अर्थ लीकेज फाल्ट के कारण विपक्षी का बिल इतना अधिक आया है। यदि विपक्षी परिवादी के विद्युत मापक की प्रत्येक बिलिंग चक्र में बिलिंग करता तो अर्थ लोड का समय पर पता चल जाता जिसके दुरस्तीकरण हेतु परिवादी ससमय पर कार्यवाही कर पाता एवं इतना अधिक उपभोग परिवादी के 2 किलोवाट संयोजन पर नहीं होता।

माननीय *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* में स्पष्ट है कि विपक्षी ही परिवादी को सूचित करेगा। कि परिसर में अर्थ लीकेज है तथा उसे सलाह देगा कि अपनी वायरिंग की जॉच करवाकर लीकेज दूर करवा लें, अगर विपक्षी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किया जाता तो परिवादी को एकमुस्त अधिक विद्युत यूनिट (जो कि उसके द्वारा उपभोग नहीं की गई) के मूल्य का भुगतान के लिये विवश न होना पड़ता।

माननीय *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.2.1(2)* के प्रावधानो के अनुसार विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

को दिनांक 08.02.2025 से 30.11.2025 अर्थात 295 दिनों का विद्युत बिल रू0 40,598.00 का एक साथ प्रेषित किया गया है जो कि माननीय् UERC के उपरोक्त विनियम का स्पष्ट उल्लघन है,

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक में मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि परिवादी को माह 12/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 02/2025, 12/2024 एवं 10/2024 की औसत खपत 0 यूनिट प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को माह 12/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 02/2025, 12/2024 एवं 10/2024 की औसत खपत 0 यूनिट प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी** आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर **विद्युत** औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, **देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

29/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/04/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248C
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 179/2025

श्री राजीव ढौंडियाल, — परिवादी
निवासी– 19, डंगवाल रोड,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 24.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि श्रीकृष्ण चन्द जी का मकान 56 बिन्दाल वाला (19 डंगवाल रोड) पर है। 6 जनवरी 2025 को हमारे मीटर की रीडिंग सामान्य से अधिक आई थी। हमारे द्वारा शिकायत करने पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा बिल संशोधित किया गया। जिससे मैं संतुष्ट हो गया था। परन्तु 7 अप्रैल 2025 से अब तक जो भी बिल आए है इसमे हर महीने ACD Int. के नाम पर मुझसे बिल के अतिरिक्त 11,236 रूपये वसूल किए जा चुके है जो कि सर्वथा अनुचित है। ऑफिस (परेडग्राउंड) में पूछने पर मुझे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। आपसे अनुरोध है कि जो भी अतिरिक्त शुल्क मुझसे लिया गया है वह क्यों लिया जा रहा है, उसको बिजली बिल में एडजस्ट किया जाये, ताकि मैं इस अतिरिक्त भार से बच पाऊँ। कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 115, दिनांकित 13/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्री राजीव ढौंडियाल के विद्युत बीजक में जो ASD लग कर आई थी उसे संशोधित कर दिया गया है उक्त उपभोक्ता को वर्तमान में उनके विद्युत खपत के आधार पर कोई भी अतिरिक्त जमानत धनराशि देय नहीं है। अतः महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी उपरोक्त आख्या से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान परिवादी विद्युत बिल में जो ASD लग कर आई थी उसे संशोधित कर कर दिया गया।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने क के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

24/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 24/04
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 184/2025

श्रीमती अनीता देवी, — **परिवादी**
निवासी–पित्थुवाला खुर्द,
आर्केडिया ग्रांट,
चन्द्रबनी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 18.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है "*कि प्रार्थीनी के द्वारा पित्थुवाला, चन्द्रबनी में एक भूखण्ड पट्टे के आधार पर क्रय किया गया है, जिस पर प्रार्थिनी के द्वारा स्वयं एवं परिवार के रहने हेतु भवन का निर्माण करवाया गया है। जिसके प्रपत्र सलग्न है। महोदय प्रार्थिनी के द्वारा उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन हेतु मेरे द्वारा विद्युत वितरण कार्यालय, आई०एस०बी०टी० से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा किसी नगर निगम के आदेश के आधार पर कनेक्शन देने में मौखिक रूप से असमर्थता व्यक्त की गयी है। महोदय प्रार्थिनी के भवन निर्माण के दौरान कभी भी नगर निगम, एम०डी०डी०ए० अथवा किसी अन्य सरकरी विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं लगायी गयी। अतः भवन निर्माण के उपरान्त उसमे विद्युत कनेक्शन निर्गत नहीं किया जाना मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। महोदय प्रार्थिनी का परिवार अत्यंत गरीब है, प्रार्थिनी के 03 छोटे बच्चे है, जिनकी पढाई विद्युत कनेक्शन के अभाव में बुरी तरह से प्रभावित हो रही है तथा साथ ही दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि मोबाइल चार्ज करने हेतु भी पडोसियों पर निर्भर है। अतः*

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थिनी के उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन निर्गत करवाने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थिनी आजीवन आपकी आभारी रहेगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 333, दिनांकित 08/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन शासकीय भूमि (पट्टे वाली भूमि) पर दिये जाने हेतु आग्रह किया गया था, जबकि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–109/CT/2023 दिनांक–25.02.2023 द्वारा बिना स्वामित्व की भूमि (पट्टे धारी भूमि) पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय मे विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को घरेलू संयोजन निर्गत नहीं किया गया।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the **premises** by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction **premises** falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant."

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत सयोजन निर्गत करे। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन कराया जाना न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् 3.3.2(4)(a)(i) के प्रथम परन्तुकः– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to c) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

18/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 189 / 2025

श्री खेम सिंह — परिवादी
निवासी- खसरा नं0 369, पुरकल गांव,
पो0ऑ0– भगवन्तपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 28.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding delay in refunding of security deposit amount by the Respondent i.e. UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

"I, Khem Singh, had obtained a temporary electricity connection (Meter No.18299588). However, the security deposit has not been refunded till date. I have already submitted a

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

duly notarized affidavit regarding loss of the original receipt. Despite this, no action has been taken. This amount to deficiency in service. You are requested to arrange immediate refund of the deposit, failing which I shall be constrained to initiate appropriate legal proceedings.''

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 126 दिनांकित 18/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि [" *श्री खेम सिंह द्वारा दिनांक 30.04.2022 को 01 दिवस (04.05.2022) हेतु अस्थायी संयोजन हेतु रसीद संख्या 03/H080770/Dated 30.04.2022 Rs. 5552.00 कटवायी गयी थी। श्री खेम सिंह द्वारा उक्त अस्थायी संयोजन की जमानत धनराशि समायोजन एवं वापसी हेतु माह जनवरी 2026 में आवेदन किया गया। उपभोक्ता द्वारा मूल पावती खण्ड कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवायी गयी, जिस पर उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया। महोदय उपभोक्ता द्वारा धनराशि वापसी हेतु लगभग 03 वर्ष 06 माह पश्चात् आवेदन किया गया एवं साथ ही मूल पावती उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिस कारण पुराने अभिलेखो की पडताल करने के उपरान्त माह मार्च 2026 में उपखण्ड कार्यालय के रजिस्टर कमांक संख्या 431/EDSD(A) द्वारा उपभोक्ता की जमानती धनराशि वापसी हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया था। खण्ड कार्यालय द्वारा चैक संख्या 486373 दिनांक 17.04.2026 (पंजाब नेशनल बैंक) के माध्यम से उपभोक्ता को रू0 3889.00 भुगतान किया जा चुका है।*"]

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि अस्थायी संयोजन हेतु रसीद संख्या

03/H080770/Dated 30.04.2022 Rs. 5552.00 कटवायी गयी थी की जमानत धनराशि रू0 3889.00 दिनांक 17.04.2026 (पंजाब नेशनल बैंक) के माध्यम से उपभोक्ता को निर्गत की जा चुका है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के अस्थाई संयोजन की जमानत धनराशि दिनांक 17.04.2026 (पंजाब नेशनल बैंक) के माध्यम से उपभोक्ता को रू0 3889.00 भुगतान कर परिवादी की मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई के दौरान अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जान एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई के दौरान अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

28/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/04/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 190 / 2025

श्रीमती खुशबू सक्सेना, परिवादी
निवासी– पौडवाला, राजावाला,
राजा रोड, नियर दून चिल्ड्रेन
वर्ल्ड स्कूल, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 27.04.2026

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding delay in change of name and contact details in Electricity Connection.

The Complainant submits and prays as under:-

"I am writing to formally request an update regarding the application for a change in connection name and contact details for the property located at Paudwala Rajawala, submitted at the EDD Mohanpur Selaqui Office on ***March 18, 2026****. Despite visiting the office multiple times to fulfill all documentation requirements, the requested changes have not yet been reflected in your records. As per the submission, the property has been purchased by* ***Ms. Khushboo Saxena****, and all necessary legal and identification documents were handed over to your staff. At the time of submission, we were assured that a confirmation message would be sent once the update was processed. However, to date, the changes remain pending. As a significant amount of time has passed since the official submission, I request you to look into this matter urgently and ensure the records are updated to avoid any billing or communication. Please confirm the status of this request at the earliest."*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 46, दिनांकित 16/04/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता नाम स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन के संख्या 21803260614 दिनांक 18.03.2026 के अनुक्रम में दिनांक 13.04.2026 को स्थानान्तरण कर दिया गया है। अतः उक्त वाद के सम्बन्ध में आपको सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता नाम स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन के संख्या 21803260614 दिनांक 18.03.2026 के अनुक्रम में दिनांक 13.04.2026 को स्थानान्तरण कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत उपभोक्ता नाम स्थानान्तरण न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण दिनांक 13.04.2026 को नाम स्थानान्तरण कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-4-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/04/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/04/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 ONL 01/2026

श्री विपिन रावत — परिवादी
निवासी– क्वार्टर नं0–डी 09, टाईप -II
मैट्रोलॉजिकल सेंटर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 28.04.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद नये विद्युत संयोजन की स्थापना में विलम्ब होने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 311 दिनांकित 13/04/2026 से मंच को को अवगत कराया गया है कि "*शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.03.2026 को आवेदन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशनसंख्या 530270326010 है, आवेदक द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दिनांक 31.03.2026 को विद्युत संयोजन के सापेक्ष प्रतिभूति राशि जमा करवाई है तथा अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 06.04.2026 को आवेदक के परिसर पर मीटर स्थापित कर विद्युत संयोजन को निर्गत कर दिया गया है, जिसका सीलिंग प्रमाण पत्र*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संलग्न है। इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि उक्त विद्युत संयोजन विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि से पूर्व ही निर्गत किया जा चुका है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि से पूर्व ही निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत दिनांक 06.04.2026 को विद्युत मीटर स्थापित कर संयोजन निर्गत कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-4-2026	28/04/26	28/04/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य